media Lab asia
innovating for Digital Inclusion

वार्षिक प्रतिवेदन

2011-12

विषय-सूची

कॉरपोरेट जानकारी	3
प्राक्कथन	8
मीडिया लैब एशिया परिदृश्य	10
निदेशक प्रतिवेदन	14
लेखा परीक्षक प्रतिवेदन	40
तुलन-पत्र	42
आय और व्यय का विवरण	44
नोट	46

कॉरपोरेट जानकारी

निदेशक मंडल

अध्यक्ष

श्री कपिल सिब्बल (पदेन)
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार।

निदेशक

श्री आर. चंद्रशेखर, आई.ए.एस. (पदेन)
सचिव,
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार (14.03.2012 तक)

श्री जे. सत्यनारायण, **आई.ए.एस.** (पदेन)
सचिव,
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार (14.03.2012 तक)

श्री रत्नाकर यशवंत गायकवाड, आई.ए.एस. (पदेन)
प्रमुख सचिव, महाराष्ट्र राज्य सरकार ।

श्री आर. भट्टाचार्य, आई.ए.एस.
विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार।

श्रीमती अंशु वैश, आई.ए.एस.
सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

प्रो. समीर के. ब्रह्मचारी
निदेशक प्रमुख, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद।

श्री अजय प्रकाश साहनी, आई.ए.एस.
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मीडिया लैब एशिया - एन.ई.जी.डी. ।

डॉ. एफ़. सी. कोहली
भूतपूर्व उपाध्यक्ष, टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज़ लिमिटेड।

श्री किरण कार्णिक
भूतपूर्व अध्यक्ष, नासकॉम।

श्री सोम मित्तल
अध्यक्ष, नासकॉम।

डॉ. सौरभ श्रीवास्तव
अध्यक्ष, सी.ए. टेक्नोलॉजी भारत।

प्रो. देवांग खख्खर
निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई।

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

डॉ. जी. वी. रामाराजू **(**अतिरिक्त कार्यभार**)**
वैज्ञानिक 'जी' और जी.सी. (सूचना और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास)
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार

वरिष्ठ अधिकारी

अनुसंधान और विकास

डॉ. जी. वी. रामाराजू, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री अजय प्रकाश साहनी, आई.ए.एस., अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मीडिया लैब एशिया - एन.ई.जी.डी.
प्रो. नरेन्द्र आहूजा, सदस्य और संयोजक, पी.एस.आई.जी., आई.टी.आर.ए.
श्री वी. के. भाटिया, अनुसंधान निदेशक, मीडिया लैब एशिया

वित्त और प्रशासन

श्री जॉर्ज अराकल, विशेष कार्य हेतु नियुक्त अधिकारी
श्री जे. के. त्यागी, विशेष कार्य हेतु नियुक्त अधिकारी (31.7.2011 तक)
श्री के. पी. शिवदास, लेखा प्रबंधक

लेखा परीक्षक

मैसर्स सोराब एस. इंजीनियर एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुंबई – 400 001

कॉरपोरेट और पंजीकृत कार्यालय

मीडिया लैब एशिया
समृद्धि वैंचर पार्क,
चतुर्थ तल, सेंट्रल एम.आई.डी.सी. रोड,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई,
महाराष्ट्र, पिन – 400 093

अनुसंधान केंद्र

मीडिया लैब एशिया
708-723, सप्तम तल,
देविका टॉवर,
6 नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली – 110019

मीडिया लैब एशिया – राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग
चतुर्थ तल, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन,
6 सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003

तकनीकी सलाहकार मंडल के सदस्‍य

डॉ. आर. चिदंबरम
भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, नई दिल्ली

डॉ. टी. रामासामी
सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

डॉ. अशोक एस. कोलासकर
सलाहकार, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग

प्रो. एन. बालाकृष्णन
संयुक्त निदेशक, सुपर कंप्यूटर शिक्षा और अनुसंधान केंद्र
भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर

प्रो. अनिल के. गुप्ता
भारतीय प्रबंधन संस्थान, वस्त्रपुर, अहमदाबाद

डॉ. आर. सी. डेका
निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

प्रो. एम. बर्मा
निदेशक, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, मुंबई

श्री एस. सी. खुंटिया, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव (ए. एंड टी.), स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली

प्रो. कृति रामामृतम
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई
मुंबई

प्रो. अनुपम बासु
कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी विभाग
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

प्रो. संजय जी. ढांडे
निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

प्रो. अशोक झुनझुनवाला
विद्युतीय अभियांत्रिकी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास

प्रो. बी. एन. जैन
उपकुलपति, बी.आई.टी.एस., पिलानी

डॉ. मुरली कृष्ण कुमार
सलाहकार (सी. एंड आई.), योजना आयोग, योजना भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली

डॉ. जी. वी. रामाराजू (अतिरिक्त कार्यभार)
वैज्ञानिक 'जी' और जी.सी. (सूचना और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास)
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मीडिया लैब एशिया

प्राक्कथन

सामाजिक उद्यम की ओर अग्रसर

मुझे 'मीडिया लैब एशिया' के वर्ष 2011-12 के इस वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव है। भारत की विकास संबंधी आवश्यकताओं के लगभग एक दशक के अवलोकन, समझ और सहभागिता की बुनियाद पर निर्मित और लक्ष्यित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों और पैकेजों के साथ प्रयास में बीता पिछला वर्ष हमारे लिए बेहद उत्साह भरा समय रहा।

मीडिया लैब एशिया एक सामाजिक उद्यम वाली, धारा 25 की गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी, इसका उद्देश्य आम आदमी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक अद्वितीय मंच प्रदान करना - स्व. प्रो. प्रह्लाद के शब्दों में, बाज़ारू उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से क्षमता को 'पिरामिड की शुरूआत से' प्रोत्साहित करना है। विभिन्नताओं, प्रतिभाओं के समूह, विकास की क्षमता, युवाओं की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं, जनसंख्या में अतिवृद्धि और बेहिसाब समस्याओं वाले एक अरब बीस करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में नवोन्मेषियों के लिए बाज़ारू अवसरों का एक अक्षय पात्र है। कंपनी आज भी इस मूल वाक्य से प्रेरित है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा नवोन्मेषण विकास, वृद्धि, रोज़गार, समानता, सशक्तिकरण और जीवन स्तर की बेहतरी जैसे परिवर्तनों के महान चालक बन सकते हैं।

इस प्रतिवेदन में इस अवधि के दौरान विभिन्न गतिविधियों, विकसित और परिनियोजित उत्पादों, हमें हमारी यात्रा में प्रेरित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सम्मानों, उत्पादों और परियोजनाओं द्वारा पड़ने वाले प्रभावों के कुछ उदाहरणों, वर्तमान और नियोजित कार्यों के साथ-साथ तुलन पत्र के अतिरिक्त कंपनी से संबंधित शासन और अन्य सांदर्भिक जानकारी शामिल हैं।

बीते वर्ष ने हमें विश्वास दिया है कि मीडिया लैब एशिया आने वाले वर्षों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के चुनिंदा क्षेत्रों के अनुसंधान, विकास और आविष्कार के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित स्थान हासिल कर सकती है। रोज़गार वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा, नि:शक्तजनों के सशक्तिकरण और शिक्षा जैसे क्षेत्रों का विकास कार्य आने वाले वर्षों में हमें और बड़ी सफलताएं दिलाएगा।

इस वर्ष में खासकर दो विकास कार्य कंपनी के उद्धारकर्ता बने हैं। पहला काम कंपनी की एक उच्च स्तरीय कार्य समूह द्वारा समीक्षा था जिसमें कंपनी के लिए रणनैतिक निर्देशों के अतिरिक्त कंपनी के लिए अगले दशक तक बजट से वित्तीय सहायता जारी रहने की अनुशंसा की गई थी। दूसरा कार्य ऐसे दो विभागों, सूचना और संचार अनुसंधान अकादमी (आई.टी.आर.ए.) और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग (एन.ई.जी.डी.) द्वारा वर्तमान वर्ष में की गई प्रगति है, जो पिछले कुछ समय से कंपनी का एक भाग बन गए हैं। ये संस्थान अनुसंधान और शिक्षा तथा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम प्रबंधन में मानवश्रम क्षमता को बढ़ाने में राष्ट्रीय स्तर की शुरूआतों के महान उपकरण बन गए हैं।

ऐसे समय में जबकि सरकार का ध्यान नि:शक्तजनों का सशक्तिकरण, रोज़गार वृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में तकनीक को ग्रामीण भारत और ज़रूरतमंदों तक ले जाना है, एक कंपनी के तौर पर मीडिया लैब एशिया इन गतिविधियों से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति में अद्वितीय वाहक है।

मीडिया लैब एशिया की स्थापना भारत और उभरते बाज़ारों में आम आदमी की सेवा के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को लाने के लिए एक अग्रणी नवोन्मेषी के रूप में की गई थी। आने वाले दशकों में, हमारी कोशिश है कि भारत के शैक्षणिक और अनुसंधानिक पारिस्थितिक-तंत्र को प्रेरित करते रहें, और भारत तथा अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विकास बाज़ार के लिए नवोन्मेषण द्वारा चालित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को तीव्र गति देने हेतु क्रियाशील और उभरती सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उद्योग के सहभागी बनें।

कंपनी को अपनी गतिविधियों और सफलताओं के लिए श्रेष्ठ लोगों का मार्गदर्शन और निर्देशन तथा निदेशक मंडल, तकनीकी सलाहकार मंडल, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिकों का तकनीकी दृष्टिकोण प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम इन सभी को धन्यवाद देते हैं और नवोन्मेषण और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी आम लोगों के जीवन को सार्थक बनाने के लिए नए जोश के साथ काम करने की शपथ लेते हैं।

हस्ताक्षरित

डॉ. जी.वी. रामाराजू
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मीडिया लैब एशिया : परिदृश्य

इक्कीसवीं शताब्दी के उदय तक, भारत अपनी सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं और अपने ताररहित और तारसहित तकनीक में एक सुदृढ़ आधारभूत संरचना प्रदान करने वाले, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले और एक अरब से अधिक की जनसंख्या को प्रतिस्पर्धी बाज़ार के ज़रिए स्थायी फ़ोन और मोबाइल सेवाएं प्रस्तुत करने वाले दूरसंचार उद्योग के माध्यम से राष्ट्रों के अंतरराष्ट्रीय समुदाय में सूचना प्रौद्योगिकी के एक शक्ति केंद्र के रूप में उभरने की दिशा में तीव्र गति से बढ़ रहा था।

उस संदर्भ में, यह सांदर्भिक माना गया कि कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विकास के क्षेत्रों की आवश्यकताओं, समावेशीकरण की ज़रूरतों और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में नवोन्मेषण को प्रोत्साहित करने पर विशेष ज़ोर दिया जाए। उस दृष्टिकोण को अमली जामा पहनाने, नवोन्मेषण प्रेरित अनुसंधान और विकास कार्य करने और ऐसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों, पैकेजों और सेवाओं के लिए जो प्रवर्धन-योग्य है और आम आदमी के जीवन को दीर्घकाल तक प्रभावित कर सकते हैं, भारत सरकार के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में वर्ष 2001 में मीडिया लैब एशिया की स्थापना की थी। शुरूआती एक वर्ष की अवधि के बाद, सरकार ने वर्ष 2003 में मीडिया लैब एशिया के लिए वृहद कार्यक्षेत्रीय कार्यक्रम का अनुमोदन किया था।

तब से, कंपनी ने आम आदमी को शिक्षा, रोज़गार संवर्धन (कृषि, शिल्पकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), स्वास्थ्य सेवा और नि:शक्तजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में सूचना और संचार तथा अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों द्वारा लाभान्वित करने के कार्य का चयन किया है। ये प्रयास भी किए जा रहे हैं कि कमज़ोर वर्ग, अल्पसंख्यकों, जनजातियों और विकलांगों को सशक्त बनाने हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा प्रस्तुत संभावनाओं पर गौर किया जाए।

मीडिया लैब एशिया सांदर्भिक और दीर्घकालीन प्रौद्योगिकियों और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त उत्पादों को विकसित करने और उन्हें आम लोगों के दैनिक जीवन में लाने के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान के नमूने पर कार्य करती है। इस प्रयास में मीडिया लैब एशिया शैक्षणिक समुदायों तथा अनुसंधान और विकास संस्थाओं, उद्योग, गैरसरकारी संगठनों और सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करती है।

इस वार्षिक प्रतिवेदन में मीडिया लैब एशिया द्वारा, विशेषकर हाल में ही संचालित हुई परियोजनाओं और गतिविधियों के चित्र तथा मूलभूत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उत्पादों और पैकेजों के विकास और परिनियोजन के सफल प्रयासों के परिणाम आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। कंपनी को शेयरधारकों के क्षेत्रों से संबंधित प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं को समझने का, इन क्षेत्रों में आधारभूत क्रियान्वयनों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका तथा इनका सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों पर आधारित प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और सेवाओं के विकास और परिनियोजन में दस वर्षों का अनुभव हासिल है। मीडिया लैब एशिया ने विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के ज़रिए 30 लाख लोगों के जीवनों को प्रत्यक्ष रूप से एवं 35 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया है - मानक वृद्धि और प्रतिकृति के ज़रिए महत्वपूर्ण प्रभाव हेतु क्षमता का एक व्याख्यान।

इस प्रतिवेदन में सूचना और संचार अनुसंधान अकादमी (आई.टी.आर.ए.) और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग (एन.ई.जी.डी.) नामक दो अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की गतिविधियों की प्रगति को भी सूचीबद्ध किया गया है, जिनके संचालन का ज़िम्मा भी कंपनी को सौंपा गया है।

सूचना और प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (आई.टी.आर.ए.)**:** यह चुनिंदा अनुसंधान या अनुप्रयोग संबंधी समस्याओं के विभिन्न पक्षों में दक्षताप्राप्त अनुसंधानकर्ताओं और संस्थानों के बीच गहन सहकार्य के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समस्या समाधान और सामाजिक विकास के शैक्षणिक संस्कार को संस्थागत करते हुए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों और इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन का निर्माण करने वाला एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के आधार को विस्तृत करके खासकर विशाल सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोगकर्ताओं जैसे सरकार, उद्योग और अन्य शैक्षणिक संगठनों का इस्तेमाल करके राष्ट्र की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मज़बूत बनाने में केंद्रित रहेगी।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग (एन.ई.जी.डी.)**:** भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत क्षमता निर्माण योजना के तहत राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को तकनीकी और पेशेवर सहयोग प्रदान करने के लिए सांदर्भिक विशेषज्ञता और अनुभव वाले राज्य ई-मिशन दलों की स्थापना करने सहित राज्य-स्तरीय निर्णय लेने हेतु एक संस्थागत बुनियादी ढांचे की स्थापना की गई है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना की कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संचालनों हेतु इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग (एन.ई.जी.डी.) नामक एक स्वतंत्र इकाई की स्थापना मीडिया लैब एशिया के अधीन और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत की है।

पिछले दशक में संचालित गतिविधियां

- नि:शक्तजनों का सशक्तिकरण

  www.punarbhava.in – एक ही स्थान पर नि:शक्तता के विभिन्न मामलों से संबंधित जानकारी प्रदान करने का एक राष्ट्रीय अंतर्क्रियात्मक वेब पोर्टल**:** प्रतिदिन 300 से अधिक बार देखी जाती है।

  नवशिखर – विशेष शिक्षकों और प्रशिक्षु शिक्षकों हेतु अंतर्क्रियात्मक कार्यक्रमों को प्रदान करने का एक एजुसैट आधारित टेलीविज़न चैनल**:** प्रत्यक्ष रिसेप्शन प्रणालियों (डी.आर.एस.) के ज़रिए भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त देश भर के 473 से अधिक शैक्षणिक केंद्र लाभान्वित होते हैं।

  श्रुति-दृष्टि – दृष्टिबाधितों के लिए एक वेब पेज ब्राउज़र**:** 18 राज्यों के 40 विद्यालयों में परिनियोजित किया गया।

  दृष्टिबाधितों के लिए एक कंप्यूटरीकृत ब्रेल लिप्यंतरण प्रणाली: 14 राज्यों के 40 विद्यालयों में परिनियोजित की गई।

  Punarjjani™ – मानसिक रोग से ग्रस्त बच्चों के लिए वेब सक्षम एकीकृत मूल्यांकन सॉफ़्टवेयर: देश भर के 100 विद्यालयों में परिनियोजन किया जा रहा है।

- स्वास्थ्य सेवा

Health Asociado™ – मोबाइल, कंप्यूटरों द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली**:** इसका विकास किया गया है और केरल के मल्लपुरम क्षेत्र की 7.8 लाख जनसंख्या के लिए परिनियोजन किया गया है।

mDhanwanthari™ – मोबाइल टेलीमेडिसिन प्रणाली**:** इसका विकास किया गया है और केरल के चेर्थला तालुक के 20 स्थानों में परिनियोजन किया गया है; 4.34 लाख लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

eDhanwanthari™ – ग्रामीण टेलीमेडिसिन सुविधा**:** इसका विकास किया गया है और केरल के 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 4 विशेषीकृत अस्पतालों में परिनियोजन किया गया है; 1.70 लाख लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की निगरानी हेतु प्रणाली**:** उड़ीसा के अंगुल ज़िले में स्थित पल्लाहारा खंड में परिनियोजित; 1.30 लाख लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

- रोज़गार संवर्धन

eSagu™ - एक निजीकृत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित कृषि परामर्शी प्रणाली**:** आंध्रप्रदेश के 7 जिलों के 200 से अधिक गांवों में 32 विभिन्न फसलों पर 100,000 से अधिक विशेष सलाहें दी गईं हैं; साथ ही उत्तर प्रदेश के 3 जिलों के 9 'ग्रामीण ज्ञान केंद्रों' (66 गांव) के ज़रिए भी इसका परिनियोजन किया गया है।

aAQUA™ *(ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस आन्सर्ड)* **–** किसानों का एक पोर्टल**:** हाल में शुरू हुई एक कंपनी 'मैसर्स एग्रोकॉम लिमिटेड' इसका प्रसार कर रही है; कंपनी की वेबसाइट पर 21000 से अधिक सदस्यों का पंजीकरण हुआ और 38000 से अधिक जानकारियों का आदान-प्रदान हुआ।

अश्विनी **–** एकीकृत सेवा उपलब्ध कराने के लिए सुदूर क्षेत्र तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी**:** आंध्रप्रदेश के 115 गांवों में ई-अध्ययन, ई-स्वास्थ्य और ई-कृषि परामर्श के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए परिनियोजित की गई है; 5 लाख से अधिक लोगों के लिए यह उपलब्ध है।

कैड **(CAD)** - कशीदाकारी के लिए**:** चिकनकारी के लिए उत्तरप्रदेश के लखनऊ और कानपुर के 5 समूहों में; नई दिल्ली स्थिति शाहपुर जाट गांव में, ज़रदोज़ी के काम के लिए उत्तरप्रदेश के कम्पिल्या और फ़र्रूखाबाद समूहों में; मेरठ में छोटे और मध्यम उद्यम समूहों में और चंदेरी डिज़ाइन के लिए मध्यप्रदेश स्थित चंदेरी में परिनियोजित किया गया है।

चेतना **(CHETANA) –** सामुदायिक टीवी आधारित महिला सशक्तिकरण और बाल विकास**:** आंध्रप्रदेश के 8 स्थानों में परिनियोजित किया गया; 60 गांवों पर इसका प्रभाव पड़ा।

कम्युनिटी रेडियो स्टेशन (सी.आर.एस.)**:** 5 कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से रोज़गार सृजन के लिए परिनियोजित किया गया (रांची, फ़ैज़ाबाद, कोयंबटूर, हिसार और रायपुर)।

- शिक्षा

उत्तर-पूर्व के ग्रामीण विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी**:** मिज़ोरम के 150 विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित सामग्री परिनियोजित की गई, जिससे 30000 से अधिक विद्यार्थी और शिक्षक लाभान्वित हुए।

निदेशक प्रतिवेदन

निदेशकों को 31-03-2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष से संबंधित कंपनी के ग्यारहवें वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में हर्ष की अनुभूति हो रही है।

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष में संचालन परिणाम

	रू. '000	रू. '000
	31 मार्च, 2012	**31 मार्च, 2011**
आय	378,880	173,829
अनुसंधान व्यय	333,653	140,232
अन्य व्यय	45,227	33,597
निदेशक निम्नलिखित विनियोजन की अनुशंसा करते हैं:	-	-
आरक्षित (रिज़र्व) और अधिशेष	83,107	82,876

कंपनी का प्रदर्शन

1. पृष्ठभूमि

भारत सरकार के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आम और ज़रूरतमंद लोगों तक अत्याधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत एक गैर-लाभकारी कपनी के रूप में मीडिया लैब एशिया की स्थापना की है।

मीडिया लैब एशिया ने शिक्षा, रोज़गार में वृद्धि (कृषि, शिल्पकारों के लिए कैड सॉफ़्टवेयर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए ई.आर.पी. आदि), स्वास्थ्य सेवा और नि:शक्तजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्रों में कार्य करके ऐसा करने का प्रयास किया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा जनजातीय वर्गों का सशक्तिकरण भी मीडिया लैब एशिया का प्रयास रहा है।

कंपनी सांदर्भिक और दीर्घजीवी प्रौद्योगिकियों और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त उत्पादों का विकास करने तथा उन्हें लोगों के दैनिक जीवनों में लाने के कार्य में सहयोगी अनुसंधान के नमूने पर काम करती है। मीडिया लैब एशिया इस प्रयास में शैक्षणिक और अनुसंधान तथा विकास संस्थान, उद्योग, गैर-सरकारी संगठन और सरकार के साथ मिलकर काम करती है। इस अद्वितीय प्रयास की भारत सरकार द्वारा सहायता केंद्रीय सरकार के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता वाले निदेशक मंडल और भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. आर. चिदंबरम की अध्यक्षता वाले सलाहकार मंडल के गठन के तरीके से प्रचुरता से प्रदर्शित होती है। मंडल और समिति के अन्य सदस्य देश में अपने क्षेत्र के अनुभवी एवं दक्षता प्राप्त विशेषज्ञ हैं।

आम आदमी के फ़ायदे के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के विकास और उनके परिनियोजन के कार्य में मीडिया लैब एशिया ने पर्याप्त सफलता हासिल की है। परिकल्पना, परियोजनाओं की तैयारी, विकास और उनका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और सेवाओं पर परिनियोजन के ज़रिए आधारभूत आवश्यकताओं और संबंधित अनुप्रयोगों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका को समझने में मीडिया लैब एशिया को 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के साथ ही

मीडिया लैब एशिया ने लगभग 30 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और अन्य 35 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है।

हाल ही में, मीडिया लैब एशिया के कार्यों और गतिविधियों में सहायता करने के लिए कंपनी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (आई.टी.आर.ए.) और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग (एन.ई.जी.डी.) के रूप में दो अन्य विभागों को उनके एजेंडा के साथ जोड़ा गया है।

2. मीडिया लैब एशिया की समीक्षा

वर्ष 2003 के अनुमोदन के अनुसार, नौ वर्षों के बाद मीडिया लैब एशिया की समीक्षा की जानी थी। इसके अनुसार, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग ने अक्टूबर 2011 में मीडिया लैब एशिया के कार्यकलापों की समीक्षा के लिए एक कार्य समूह का गठन किया। इस कार्य समूह की अध्यक्षता भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. आर. चिदंबरम ने की थी। इस कार्य समूह ने ये अनुशंसा की थी कि केंद्र सरकार 30 अप्रैल 2012 की मौजूदा अनुमोदित अवधि के बाद भी अगले दस वर्षों तक वित्तीय सहायता जारी रख सकती है।

कार्य समूह ने मीडिया लैब एशिया के प्रदर्शन की समीक्षा की और यह ध्यान दिया कि सभी गतिविधियां वर्ष 2003 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुशंसित व्यावसायिक योजना और तकनीकी सलाहकार बोर्ड और साथ ही इस योजना के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा समिति की बाद की अनुशंसाओं के अनुसार की गई। कार्य समूह ने ये पाया कि मीडिया लैब एशिया अपनी एक रचनात्मक भूमिका निभा रही है और यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की मध्यस्थता के माध्यम से अनुप्रयोगों की श्रेणी से आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई अनुसंधान और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के परिणामों को काम में लाने के लिए अद्वितीय मंच भी प्रस्तुत करती है।

अनुसंधान-प्रौद्योगिकी-व्यवसायीकरण मूल्य श्रृंखला और बाज़ार में बिक्री की संभावनाओं वाले उत्पादों/नमूनों के विकास और वर्तमान परियोजनाओं के प्रवर्धन के लिए आवश्यक नमूने हेतु, उत्पाद के व्यवसायीकरण के लिए व्यावसायिक बाज़ार की संलग्नता में मीडिया लैब एशिया की भूमिका का मूल्यांकन किया गया तथा मीडिया लैब एशिया के अवसर और भूमिका को चिह्नित किया गया।

कार्य समूह का विचार था कि मीडिया लैब एशिया अपने उद्देश्य में एक अद्वितीय संगठन है, जो सरकारी योजनाओं के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्यों को पाने में मदद करने के लिए एक अत्यंत सांदर्भिक और उपयुक्त है तथा आम आदमी के जीवन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लाभों को पहुंचाने हेतु सृजित संरचना के उपयोग के लिए कंपनी को जारी रखा जा सकता है, साथ ही इसकी गतिविधियों को बढ़ाया भी जा सकता है।

मीडिया लैब एशिया का स्थापन (अनुसंधान-प्रौद्योगिकी/उत्पाद विकास- व्यवसायीकरण/परिनियोजन मूल्य श्रृंखला में; वर्तमान परियोजनाओं को आगे ले जाने और उत्पादों के व्यवसायीकरण में; बाज़ार में बिक्री-योग्य वस्तुओं/नमूनों के विकास के लिए; तथा व्यावसायिक बाज़ार की संलग्नता के विषय में):

चरण 1 - आवश्यकताओं का आंकलन, विचारों का सृजन, प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास के लिए विचारों की पहचान करना, रिक्तताओं की पूर्ति हेतु मीडिया लैब एशिया आगामी अनुसंधानों को प्रायोजित कर सकती है।

चरण 2 - सिद्धांत प्रमाण (*प्रूफ़ ऑफ़ कॉन्सेप्ट* यानी पी.ओ.सी.) - प्रौद्योगिकियों/उत्पादों के चिह्नित अनुसंधान परिणामों पर पी.ओ.सी. विकसित करना।

चरण 3 - प्रौद्योगिकी और उत्पाद का शुरूआती विकास तथा क्षेत्रगत परीक्षण/ शुरूआती परिनियोजन – शैक्षणिक तथा अनुसंधान और विकास संगठनों के साथ स्थित 'प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास केंद्रों' की स्थापना एवं प्रबंधन करना, अनुप्रयोग के विकास के लिए नवोन्मेषणों को प्रोत्साहित करना।

चरण 4 – प्रौद्योगिकी अंतरण, उत्पाद विकास एवं व्यवसायीकरण – उद्यमशीलता विकास, इन्क्यूबेशन और मूल सहायता, अन्य पेशेवर संगठनों के सहयोग से उपयोगकर्ताओं से संबंध स्थापित करना।

क्रियान्वयन क्षेत्र निम्नलिखित हैं (प्राथमिकताओं, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का आंकलन, विभिन्न क्रियान्वयन क्षेत्रों में चुनौतियों और अवसरों से संबंधित पूर्वानुभव, उपयोगकर्ता विभागों/उनके संगठनों और विशेषज्ञों से चर्चाओं पर आधारित)

- नि:शक्तता (अंत:स्थापित प्रणालियां, सहायक यंत्र, मूल्यांकन उपकरण, चित्रात्मक इंटरफ़ेसेस तथा मल्टीमीडिया पोर्टल और सामग्रियां)
- स्वास्थ्य सेवा (स्वास्थ्य सेवा का प्रचार, अंतर्क्रियात्मक हैल्थपीडिया, स्वास्थ्य प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (एच.एम.आई.एस.), अस्पताल सूचना प्रणाली (एच.आई.एस.) और स्वास्थ्य सेवा का वर्गीकरण जिसमें टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य अभिलेख तथा उचित कीमत वाले स्वास्थ्य संबंधित उपकरण शामिल हैं)
- रोज़गार संवर्धन: मध्यम और लघु उद्यम (शिल्पकारों के लिए कैड उपकरण, ई.आर.पी., कौशल विकास, आदि)
- रोज़गार संवर्धन: कृषि (विस्तार, पोर्टल, अंत:स्थापित प्रणालियां, सेंसर नेटवर्क, पशु कल्याण, आदि)

असंख्य क्रियान्वयनों का आधार केवल कुछ सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां हैं। मीडिया लैब एशिया का ध्यान भविष्य में निम्नलिखित पर केंद्रित रहेगा:

- मोबाइल प्रौद्योगिकियां
- कंप्यूटर के मानवीय इंटरफ़ेस
- भारतीय भाषा प्रौद्योगिकीय अनुप्रयोग
- सामाजिक अनुप्रयोगों के बायोमीट्रिक्स

जनसाधारण के लिए उपयोगी 'प्रयोगशाला से निकाल कर व्यवहार में लाई जाने वाली' और "द्रुत परिणामी" परियोजनाओं पर ज़ोर दिया जाएगा।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के तेज़ी से बदलते स्वभाव के मद्देनज़र, कार्य क्षेत्रों की समय-समय पर समीक्षा की जाती रहेगी और तदनुसार उनमें संशोधन किया जाता रहेगा।

3. वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त तकनीकी और अनुसंधानिक उपलब्धियां

3.1 प्रगतिशील परियोजनाएं

3.1.1 भारतीय किसानों की सूचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत में कृषि के क्षेत्र में प्रमुख सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शुरूआतों के अध्ययन और विश्लेषण पर आधारित वैकल्पिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नमूनों के समूह का विकास

इस परियोजना के तहत किसानों को *जब* सूचना की आवश्यकता हो, को प्रदान करने के लिए 'अंतर्क्रियात्मक सूचना प्रसारण प्रणाली' / '*इंटरएक्टिव इन्फ़ॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम* (आई.आई.डी.एस.)' नामक एक एकीकृत सूचना और संचार प्रौद्योगिकीय नमूने का सृजन किया जा रहा है। यह प्रणाली भारत के 12 राज्यों के 57 चयनित नमूना गांवों के 1381 किसानों को समेटती कृषि क्षेत्र की 26 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित पहलों के समग्र आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन का परिणाम है। यह अध्ययन किसानों की कृषि से संबंधित सूचना आवश्यकता तथा समस्याओं को जानने के लिए किया गया था।

यह प्रणाली एक एकीकृत नमूना है जिसमें स्मार्ट फ़ोन अनुप्रयोग, अंतर्क्रियात्मक पोर्टल और आई.वी.आर.एस. है जो कि किसानों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित अनुप्रयोग के उपयोग में आने वाली दिक्कतों को दूर करेगा। नमूने का विकास कार्य प्रगति पर है, इस नमूने के शुरूआती परिनियोजन के लिए आंध्र प्रदेश के आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय के 2 कृषि विज्ञान केंद्रों की पहचान की जा चुकी है।

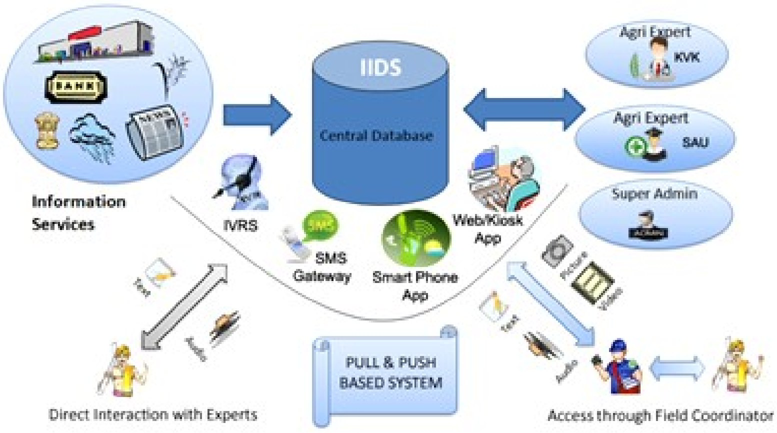

आई.आई.डी.एस. संरचना

इस कार्यक्रम की अन्य सहयोगी संस्थाएं - राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद, मुद्रा संचार संस्थान, अहमदाबाद और आचार्य एन. जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद।

3.1.2 ग्रामीण ज्ञान केंद्र (जी.जी.के.)

इस परियोजना में रोज़गार संवर्धन हेतु सामाजिक आधारभूत संरचना और एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल हेतु नमूनों को विकसित किया जाना शामिल है। 29 मल्टीमीडिया सामग्री का विकास कृषि, स्थानीय शिल्प और कला, कंप्यूटर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में किया गया है। यह मल्टीमीडिया सामग्री 2500 से अधिक ग्रामीणों द्वारा ज्ञान केंद्रों में देखी गई है जो कि इस परियोजना

में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और वाराणसी जिलों में स्थापित किए गए हैं। *इंटीग्रेटिड एग्री सर्विसेज़ प्रोग्राम* (आई.ए.एस.पी.) को इन ज्ञान केंद्रों द्वारा चालू किया गया है, जो कि कृषि परामर्शी सेवाएं **(eSagu™)** साथ् में मौसम, मंडी भाव और वित्तीय सेवाओं पर जानकारी दे रहे हैं। अब तक, **eSagu™** परामर्शी सेवाओं के लिए 1200 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं और 1100 से अधिक किसान मौसम और मंडी की दरों से संबंधित जानकारी सेवाएं प्राप्त कर चुके हैं। पंजीकृत किसानों को 6500 से अधिक कृषि संबंधी सलाहें दी जा चुकी हैं। आई.ए.एस.पी. व्यावसायिक नमूने के तहत 17500 रूपए कमाए जा चुके हैं। इस परियोजना का क्रियान्वयन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान- हैदराबाद के सहयोग से किया गया है।

3.1.3 विकास कार्यक्रम के लिए चंदेरी एकीकृत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (सी.आई.आई.डी.पी.)

सी.आई.आई.डी.पी. परियोजना चंदेरी बुनकर समूह के शिल्पकारों को एकीकृत समग्र विकास और डिजिटल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक उद्यमशीलता, संस्कार और परंपरा के संरक्षण, इंटरनेट मार्केटिंग, रोज़गार संवर्धन, सोशल नेटवर्किंग, समुदाय निर्माण और पर्यटन विकास के क्षेत्र में उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण सहित एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम समुदाय बनाने के उद्देश्य के साथ संचालित की जा रही है।

ए. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक उद्यमशीलता कार्यक्रम

ब्लॉक मुद्रण, बुनाई और कशीदाकारी कार्य के लिए मध्यप्रदेश स्थित चंदेरी में एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकीय सेटअप बनाया गया है। 150 से अधिक लोगों को कपड़ों पर कशीदाकारी कार्य और ब्लॉक मुद्रण का प्रशिक्षण दिया गया है। केंद्र में त्रिआयामी डिज़ाइनर सॉफ़्टवेयर के साथ जैकयार्ड ब्लॉक पंचिंग मशीन, लेज़र कटाई मशीन और प्लॉटर प्रिंटर स्थापित किए गए हैं। 100 से अधिक डिज़ाइनरों को प्रशिक्षण देकर केंद्र में 4000 से अधिक बुनाई के डिज़ाइन बनाए गए हैं। इस केंद्र में 300 से अधिक बुनकरों को कपड़ा डिज़ाइनिंग में प्रशिक्षित किया गया और 2000 से अधिक विद्यार्थियों को मूलभूत परिकलन कौशल, ब्लॉक मुद्रण, बुनाई, अंग्रेज़ी संभाषण और कशीदाकारी कार्य का प्रशिक्षण दिया गया।

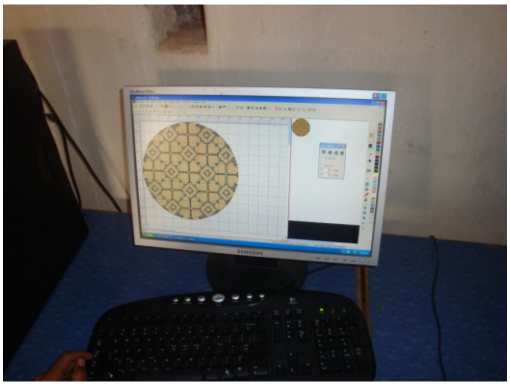

कैड सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हुए बुनाई का डिज़ाइन

चंदेरी संसाधन केंद्र में बुनाई का काम

बी. डिजिटल पर्यटन प्रचार कार्यक्रम

चंदेरी के सामाजिक-सांस्कृतिक-ऐतिहासिक लक्षणों सहित चंदेरी में स्थित पारिस्थितिक-तंत्र के विभिन्न पक्षों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए निम्नलिखित पोर्टलों की रचना की गई है: स्थानीय सामुदायिक पोर्टल http://www.chanderiyaan.chanderi.org; चंदेरी पर्यटन पोर्टल http://www.chanderi.org; चंदेरी अनुप्रयोग

पोर्टल http://www.medialabasiachanderi.in और चंदेरी उत्पाद ई-कॉमर्स पोर्टल http://www.chanderiyaan.net। पर्यटकों को जी.पी.आर.एस. सक्षम मोबाइल फ़ोनों पर यात्रा-पूर्व और यात्रा-पश्चात जानकारी प्रदान करने के लिए पर्यटन वेबसाइट पर मोबाइल आधारित अनुप्रयोग विकसित किया गया है। चंदेरी स्मारकों हेतु आभासी संग्रहालय अनुप्रयोग विकसित करके चंदेरी पर्यटन वेबसाइट पर पोर्ट किया गया है।

चंदेरी पैनोरमा पर्यटन अनुप्रयोग

सी. स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

चंदेरी के मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अशोकनगर के जिला अस्पताल से जोड़ने के लिए दोनों केंद्रों में वेब आधारित टेलीमेडिसिन सॉफ़्टवेयर ई-धनवंतरी का परिनियोजन किया गया है। प्राथमिक चिकित्सीय परीक्षण जैसे ई.सी.जी., स्पाइरोमेट्री, एन.आई.बी.पी. (रक्तचाप मापन) और एस.पी.ओ.2 (रक्त में ऑक्सीजन संतृप्ति), के आधार पर चिकित्सीय सलाहें प्रदान की जा रही हैं। दूरस्थ रोगियों की ई.एम.आर. जानकारी एकत्रित करने के लिए एक बहुउद्देश्यीय मेडिकल किट का प्रयोग किया जा रहा है।

डी. शिक्षा कार्यक्रम में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

3 मदरसों और 10 विद्यालयों में कंप्यूटर प्रयोगशालाओं को ताररहित नेटवर्क द्वारा इंटरनेट से जोड़ा गया है। मदरसों के 120 से अधिक और विद्यालियों के 840 से अधिक विद्यार्थियों को कंप्यूटर का प्राथमिक ज्ञान दिया गया है। छोटे बच्चों के लिए पूर्व-प्राथमिक शैक्षिक सामग्रियों, आभासी जीव विज्ञान प्रयोगशाला और गणित की तैयारी हेतु मार्गदर्शिका जैसे अनुप्रयोगों का भी इन विद्यालयों में परिनियोजन किया जा रहा है।

स्कूली शिक्षकों और विद्यार्थियों के समक्ष शैक्षिक सॉफ़्टवेयर का प्रदर्शन

3.1.4 दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित लोगों के लिए क्षमता निर्माण हेतु अध्ययन सामग्री का सृजन

दृष्टिबाधित लोगों को सशक्त बनाने के लिए स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की अध्ययन सामग्री को ब्रेल, ऑडियो, बड़ी छपाई और ई-पाठ में निर्मित करने के लिए यह परियोजना चलाई गई है। 245 पुस्तकों को 2579 घंटों की मानवीय आवाज़ वाली डेज़ी ऑडियो पुस्तकों में और 74 पुस्तकों को 921 घंटों की कृत्रिम आवाज़ वाली डेज़ी ऑडियो पुस्तकों में परिवर्तित किया गया है। इससे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का एक बड़ा वर्ग लाभान्वित हो रहा है। नई दिल्ली के नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ ब्लाइंड के सहयोग से इस अवधि में अब तक इन ऑडियो पुस्तकों की 28000 से अधिक सीडी का वितरण किया जा चुका है।

3.1.5 नि:शक्तजनों की शिक्षा, प्रशिक्षण और सशक्तिकरण के लिए सैटेलाइट / इंटरनेट आधारित एक वृहद राष्ट्रीय नेटवर्क

एजुसेट आधारित टेलीविज़न चैनल नवशिखर के माध्यम से भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों में विशेष शिक्षकों के लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया कराने और नि:शक्तता के क्षेत्र में कार्यरत सभी साझेदारों हेतु वेब पोर्टल 'पुनर्भव' के माध्यम से नि:शक्तता के विभिन्न मुद्दों से संबंधित जानकारी के प्रसार के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद के सहयोग से यह परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के दो भाग हैं:

ए. नवशिखर

भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के अनुसार विशेष शिक्षकों और प्रशिक्षु शिक्षकों को अंतर्क्रियात्मक कार्यक्रम प्रदान करने के लिए यह एक एजुसेट पर आधारित टेलीविज़न चैनल है। इसके अलावा, इस पर विद्यार्थियों, अभिभावकों और पेशेवर लोगों के लिए विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण भी होता है। नई दिल्ली के भारतीय पुनर्वास परिषद में इस चैनल के लिए एक स्टूडियो और प्रसारण सुविधा को स्थापित किया गया है। इस चैनल पर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक नि:शक्तता से संबंधित विभिन्न पूर्व-निर्धारित विषयों पर कार्यक्रमों का प्रसारण नियमित रूप से किया जाता है। इससे देश भर के भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त 473 केंद्र लाभान्वित हो रहे हैं, जिन्हें प्रसारण की प्राप्ति प्रत्यक्ष अभिग्रहण प्रणालियों के ज़रिए होती है। वर्ष 2011-12 में 245 घंटों के 123 प्रत्यक्ष टेलीकॉन्फ्रेंस कार्यक्रमों और 652 घंटों के 326 रिकॉर्ड हुए कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया। चैनल की पहुंच को बढ़ाने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त अन्य 200 केंद्रों तक भी इसका विस्तार किया जा रहा है। औसतन प्रति कार्यक्रम 300 केंद्र भाग लेते हैं जिससे 6000 विशेष शिक्षकों को लाभ पहुंचता है। 31 मार्च 2012 तक चैनल से 25000 से अधिक विशेष शिक्षक लाभान्वित हुए हैं।

बी. पुनर्भव

यह नि:शक्तता के विभिन्न मुद्दों से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाला एक वेब पोर्टल है। जानकारी को कई खंडों में बांटा गया है जैसे कानून संग्रह, सहायक यंत्र, ब्लॉग, नि:शक्त के पहुंच योग्य अध्ययन सामग्री, नवीनतम समाचार, घटनाएं, रोज़गार अवसर, प्रकाशन और प्रतिक्रिया। यह जानकारी नि:शक्तजनों, गैर सरकारी संगठनों, पेशेवर लोगों, नीति निर्माताओं, विद्यार्थियों, अभिभावकों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं और नि:शक्तताता के क्षेत्र के अन्य सहभागियों के लिए लाभकारी है। पोर्टल को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

W3C निर्देशों के अनुरूप नि:शक्तजनों के लिए इसे पहुंच योग्य बनाया गया है। औसतन 300 लोग प्रतिदिन इस पोर्टल को देखते हैं।

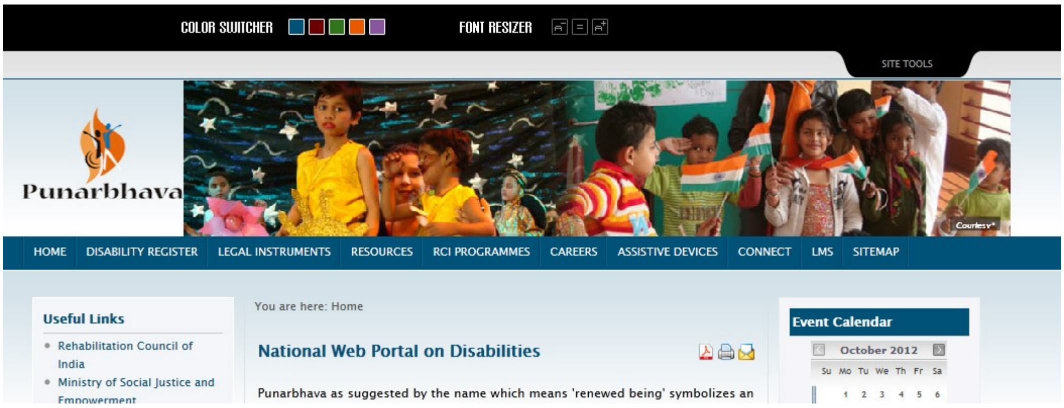

पुनर्भव पोर्टल

3.2 पूरी की गई परियोजनाएं

3.2.1 ग्रामीण स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली: - Health-Asociado™

यह प्रणाली मोबाइल यंत्रों का इस्तेमाल करके क्षेत्र से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एकत्रित करने और आगे के कार्यों (रिमाइंडर, अलर्ट) पर कार्रवाई को मज़बूती प्रदान कर मूलभूत स्वास्थ्य कर्मियों को सशक्त बनाता है। एकत्रित जानकारी को जमा करने वाला केंद्रीयकृत डेटाबेस, सार्वजनिक स्वास्थ्य जानकारी के संपूर्ण विश्लेषण द्वारा नियोजन और निर्णय लेने के लिए एक स्रोत का काम करता है।

वेब आधारित अनुप्रयोग सॉफ़्टवेयर केरल सरकार के त्रिवेंद्रम स्थित ई-गवर्नेंस जानकारी केंद्र पर http://www.rhmis.kerala.gov.in यू.आर.एल. का इस्तेमाल करके होस्ट किया गया है। केरल स्थित मल्लापुरम जिले के तीन खंडों के 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों/ खंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्यकर्मियों को अनुप्रयोग सॉफ़्टवेयर लोड किए हुए 120 मोबाइल डिवाइस प्रदान किए गए जिससे वहां की 7.8 लाख जनसंख्या लाभान्वित हुई। वर्ष 2011-12 में 2.72 लाख लोग प्रणाली में पंजीकृत हुए। अब तक प्रणाली में कुल मिलाकर 7.22 लाख लोग पंजीकृत हो चुके हैं। तिरुवनंतपुरम स्थित सीडैक इस परियोजना में सहभागी है। इस परियोजना की सफलता को देखते हुए, इस प्रणाली को केरल सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तिरुवनंतपुरम और केरल के छह अन्य जिलों तक विस्तार दिया जा रहा है जो कि देश में इतने बड़े स्तर पर पहली बार किया जाएगा।

मोबाइल आधारित प्रतिरक्षण जानकारी प्रविष्टि - अनुगमन

केंद्रीय सर्वर को जानकारी का अंतरण

3.2.2 उचित कीमत वाली मोबाइल टेलीमेडिसिन वैन: **mDhanwanthari™**

mDhanwanthari™ एक चलती-फिरती चिकित्सा वैन है जिसमें इलाज के लिए ई.सी.जी., अल्ट्रासाउंड मशीन, हीमेटोलोजी एनालाइज़र, एक्सरे डिजिटाइज़र और ऐसे अन्य आवश्यक उपकरणों से लैस है। इस मोबाइल वैन की टीम में डॉक्टर, नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन और वाहनचालक-सह-सहायक शामिल हैं। यह वैन केरल के चेर्थला तालुक के 20 स्थानों की 4.34 लाख से अधिक की जनसंख्या तक पहुंचती है। यह प्रणाली चेर्थला में टीबी, मधुमेह के पहले पता लगाए जाने और उनके उपचार के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भावस्था से पूर्व और पश्चात बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए के.वी.एम. अस्पताल के ज़रिए संचालित हो रही है। वर्ष 2011-12 की अवधि के दौरान इस प्रणाली से 5000 से अधिक ग्रामीण रोगी लाभान्वित हुए हैं।

एम-धनवंतरी वैन

3.2.3 ग्रामीण टेलीमेडिसिन प्रणाली: **e-Dhanwanthari™**

e-Dhanwanthari™ एक वेब आधारित टेलीमेडिसिन प्रणाली है जो कि सुदूर क्षेत्रों में प्रबंधन से वंचित समुदायों के रोगियों के परीक्षण, गंभीर स्थितियों के प्रबंधन और ऑपरेशन पश्चात मूल्यांकन में उन्नत सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसमें विशेषज्ञ एक ही स्थान पर बैठकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, रोगों का परीक्षण करता है, ऑपरेशन में सहायता प्रदान करता है, रोगों का उपचार करता है एवं सुदूर स्थान पर बैठे दूसरे चिकित्सक व पराचिकित्सीय व्यक्ति को परामर्श देता है। अनुप्रयोग सॉफ़्टवेयर के दो संस्करण हैं, केंद्रीयकृत और वितरित। जहां केंद्रीयकृत संस्करण केंद्रीय सर्वर पर जानकारी संग्रहित करता है वहीं वितरित संस्करण जानकारी को केंद्रीयकृत संस्करण के साथ-साथ स्थानीय कंप्यूटर में संग्रहित करके रखता है। टेलीमेडिसिन सुविधा केरल के 4 विशेषीकृत अस्पतालों/ मेडिकल कॉलेजों से 8 सुदूर केंद्रों (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों) को प्रदान की जा रही है। वर्ष 2011-2012 में प्रणाली से 320 से अधिक रोगी लाभान्वित हुए हैं।

टेली-परामर्श

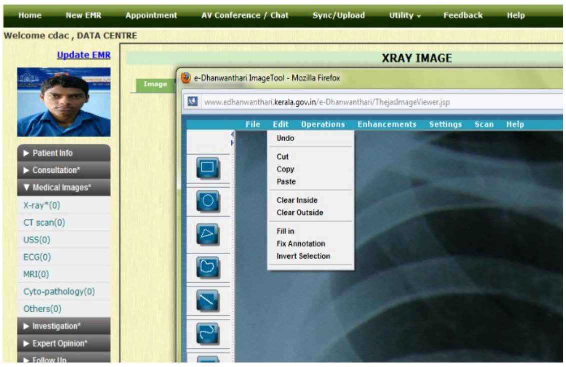

इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल अभिलेख

3.2.4 अंग्रेज़ी और हिन्दी में मल्टीमीडिया आधारित पूर्व-प्राथमिक शिक्षक संसाधन किट: **Balshiksha™**

Balshiksha™ पूर्व-प्राथमिक स्तरीय 1.6 वर्ष से लेकर 5.6 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों तथा प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए एक मल्टीमीडिया आधारित संसाधन किट है। इस पैकेज में एनीमेशन, कथाएं, पार्श्व स्वर, लोकगीत, आनंददायी गतिविधियां, चार्ट आदि शामिल हैं। सामग्री को वॉयस ओवर, वीडियो और अंतर्क्रियात्मक एनीमेशनों के साथ एकीकृत किया गया है।

इस प्रणाली को http://www.balshiksha.in पर एक्सेस किया जा सकता है। Balshiksha™ को डेस्कटॉप और मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म पर भी स्थापित किया जा सकता है।

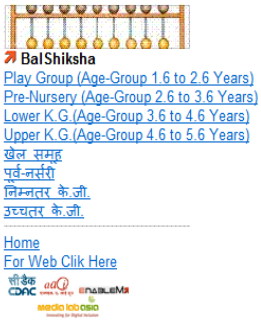

बालशिक्षा

3.2.5 मोबाइल और इंटरनेट आधारित गणित का तैयारी मार्गदर्शिका अनुप्रयोग: **Ganitmitra™**

Ganitmitra™ कक्षा XI और XII के विद्यार्थियों के लिए गणित को सीखने और समझने का एक ई-अध्ययन उत्पाद है। Ganitmitra™ विद्यार्थियों को गणित के कठिन सवालों को सरलता से समझने और समझाने में सक्षम बनाता है। मल्टीमीडिया सामग्री में वॉयस ओवर, एनीमेशन, रेखाचित्र, बहुवैकल्पिक प्रश्न, उपाय पुस्तक और ऐसी ही अन्य सामग्री है। Ganitmitra™ को डेस्कटॉप कंप्यूटर और मोबाइल पर भी स्थापित किया जा सकता है। http://www.ganitmitra.in पर जाकर Ganitmitra™ तक पहुंचा जा सकता है।

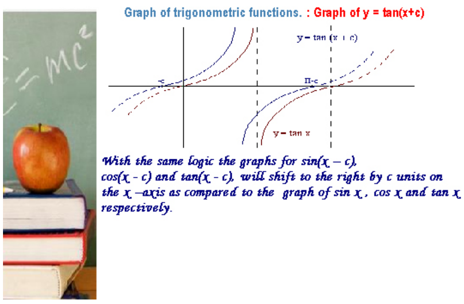

गणितमित्र

3.2.6 हायर सैकेंड्री स्तर की शिक्षा के जीव विज्ञान के प्रयोगों हेतु मोबाइल और इंटरनेट पर आधारित आभासी प्रयोगशाला: **e-vigyanshala™**

e-vigyanshala™ कक्षा XI और XII के विद्यार्थियों को लक्षित उनके जीव विज्ञान प्रयोगों के लिए एक ई-अध्ययन अनुप्रयोग है। प्रयोग करने के लिए स्क्रीन पर आभासी उपकरण और सामग्रियां दी गई हैं। इन उपकरणों से विद्यार्थी बेहतर समावेश कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उन्हें शिक्षा और परीक्षाओं

में मदद मिल सकती है। ये कंप्यूटरी पाठ्यक्रम बहुत उपयोगी है क्योंकि ये प्रयोग सामान्यतः कॉलेजों में दोहराए नहीं जाते।

e-vigyanshala™ में 70 से अधिक जीव विज्ञान के प्रयोग शामिल हैं। e-vigyanshala™ नेविगेशन के ऑनस्क्रीन निर्देश प्रदान करता है और उसमें किसी प्रयोग से संबंधित, एक संपूर्ण शब्दकोश/शब्द-भंडार मौजूद है। मल्टीमीडिया में वॉयस ओवर, वीडियो और अंतर्क्रियात्मक एनीमेशन शामिल हैं। e-vigyanshala™ को http://www.e-vigyanshala.in पर एक्सेस किया जा सकता है।

ई-विज्ञानशाला

पुरस्कार और सम्मान

पुरस्कार

राष्ट्रीय पुरस्कार: मीडिया लैब एशिया को दिसंबर 2007 में 'नि:शक्तजनों के सशक्तिकरण 2007' के क्षेत्र में 'कम लागत वाली प्रौद्योगिकी सुलभ कराने' के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिकता मंत्रालय की ओर से से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

नासकॉम नवोन्मेषी पुरस्कार **2007:** नि:शक्तजनों के सशक्तिकरण हेतु मीडिया लैब एशिया को Sanyog™ (संयोग), बहुभाषी (अंग्रेज़ी, हिन्दी और बंगाली) संवर्धी संचार प्रणाली के लिए नासकॉम नवोन्मेषी पुरस्कार वर्ष 2007 प्राप्त हुआ।

दा विन्ची पुरस्कार**:** तंत्रिका चालन विकृतियों से पीड़ित बच्चों की आवश्यकताओं पर विशेष क्रियान्वयन सहित Sanyog™ संयोग नामक बहुभाषी संचार प्रणाली को डैट्रॉयट, मिशिगन की *इंजीनियरिंग सोसाइटी* और अमेरिका के मिशिगन चैप्टर के *नेशनल मल्टिपल स्क्लेरॉसिस सोसाइटी* ने वर्ष 2004 में दा विन्ची पुरस्कार से सम्मानित किया।

सी.एस.आई.-निहिलैंट ई-गवर्नेंस पुरस्कार**:** मीडिया लैब एशिया ने eSagu™ (एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित निजीकृत कृषि परामर्शी प्रणाली) के लिए सी.एस.आई. निहिलैंट ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2005-06 प्राप्त किया।

मंथन पुरस्कार 2007: मीडिया लैब एशिया ने अपनी परियोजना "eSagu™: एक सूचना और प्रौद्योगिकी आधारित निजीकृत कृषि-परामर्शी प्रणाली" के लिए अपने साझेदार आई.आई.आई.टी., हैदराबाद के साथ मिलकर मंथन पुरस्कार प्राप्त किया था। eSagu™ को आधारभूत सशक्तिकरण और विकास के लिए भारत में अग्रणी शुरूआत माना गया है और यह क्रॉस मीडिया का उपयोग करने वाले नवोन्मेषी ई-सामग्री व्यवहारों में से एक है।

मंथन पुरस्कार **2005: aAQUA™** को 2005 के मंथन पुरस्कारों में नवोन्मेषी ई-सामग्री (ई-समावेशीकरण) श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था।

गोल्डन आइकन पुरस्कार**:** मीडिया लैब एशिया ने फ़रवरी 2005 में दृष्टि बाधित लोगों के लिए श्रुति-दृष्टि परियोजना, कंप्यूटरीकृत पाठ से भाषण और पाठ से ब्रेल की प्रणाली हेतु भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग द्वारा वर्ष के पथप्रदर्शक अनुप्रयोग - नई प्रविष्टि - श्रेणी के तहत प्रदान किया जाने वाला *गोल्डन आइकन* पुरस्कार प्राप्त किया है।

सम्मान

- भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने अश्विनी परियोजना को अपनी वेबसाइट में शामिल किया।
- ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय के सूचना उद्योग संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तक *"इन्नोवेटिव एप्लीकेशन केस स्टडी 2006"* में **"eSagu™"** को विश्व के नवीनतम अद्भुत इंटरनेट अनुप्रयोगों में से एक के रूप में सम्मानित किया।

- श्री नंदन नीलेकणी की पुस्तक "*इमेजिनिंग इंडिया*" में **eSagu^{TM}** का ज़िक्र कुछ इस प्रकार किया गया है "आंध्र प्रदेश में ग्रामीण एक कृषि परामर्शी नेटवर्क के ज़रिए रोगग्रस्त फसलों के चित्र खींचकर विश्वविद्यालय तक भेजते हैं, जहां कृषि वैज्ञानिक उनका परीक्षण करके उनके उपचार की अनुशंसा करते हैं। उसमें से असंख्य छोटे-छोटे लेन-देन मिलकर एक बड़ी तीव्र धारा में समाहित होते हैं जिनमें देश के शहरों से लेकर सबसे गरीब और पिछड़े क्षेत्रों के लोग शामिल होते हैं।"
- बोत्स्वाना के गैबोरॉन नामक स्थान में आयोजित विश्व सूचना प्रौद्योगिकी फ़ोरम (विटफ़ोर) 2005 ने **Grampatra^{TM}** (संग्रह और अग्रेषण) प्रौद्योगिकी की पहचान सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु क्रियान्वयन योग्य परियोजना के रूप में की थी जहां इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध न हो। इस विटफ़ॉर 2005 की मेज़बानी बोत्स्वाना सरकार ने यूनेस्को के तत्वाधान में अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संसाधन संघ के सहयोग से की थी।

3.3 नवीन परियोजनाएं

3.3.1 नि:शक्तता क्षेत्र के एजुसेट आधारित चैनल 'नवशिखर' के अभिग्रहण के लिए देश के उत्तरपूर्वी क्षेत्र में 40 डी. आर. एस. (प्रत्यक्ष अभिग्रहण प्रणालियों) की स्थापना

मीडिया लैब एशिया एजुसैट आधारित टेलीविज़न चैनल 'नवशिखर' के माध्यम से नि:शक्तता के क्षेत्र में विशेष शिक्षकों, प्रशिक्षु शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों, पेशेवर व्यक्तियों और अन्य साझेदारों के लिए अंतर्क्रियात्मक कार्यक्रम चला रहा है। इससे भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त देश भर के लगभग 473 संस्थान लाभान्वित हो रहे हैं जो प्रत्यक्ष अभिग्रहण प्रणाली के ज़रिए कार्यक्रम देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में 200 अन्य केंद्रों को भी इससे जोड़ा जाएगा। इस चैनल के लाभ को देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए क्षेत्र में भारतीय पुनर्वास परिषद के चुनिंदा 40 मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रत्यक्ष अभिग्रहण प्रणाली की स्थापना की जा रही है।

3.3.2 देश के 100 विद्यालयों में **Punarjjani^{TM}** का परिनियोजन

Punarjjani^{TM} मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के लिए एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित एकीकृत मूल्यांकन सॉफ़्टवेयर है। इसका विकास त्रिवेंद्रम के सीडैक के साथ मिलकर किया गया है ताकि विशेष शिक्षक मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों का शीघ्रता, सक्षमतापूर्वक, त्वरित रूप से और नियमित रूप से मूल्यांकन करने में सक्षम हो सकें। विस्तृत मूल्यांकन और प्रोग्रामिंग अभिलेख कायम रखना और उनका मानवीय रूप से विश्लेषण करना विशेष शिक्षकों के लिए एक लंबा और पेचीदा काम है। शिक्षकों का समय बचाने के लिए यह उपकरण वर्तमान में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले तीन मानक विधियों का एकीकरण करता है, वे हैं एफ़.ए.सी.पी. (कार्यात्मक मूल्यांकन चेकलिस्ट प्रोग्रामिंग), बेसिक-एम.आर. (मानसिक रूप से विक्षिप्त भारतीय बच्चों के लिए व्यवहारात्मक मूल्यांकन मानदंड), एम.डी.पी.एस. (मद्रास विकास प्रोग्रामिंग प्रणाली)।

इस सॉफ़्टवेयर का परीक्षण परिनियोजन केरल राज्य के 8 विद्यालयों में किया गया। विद्यालयों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलने पर मीडिया लैब एशिया ने अब देश भर के 100 विशेष विद्यालयों में

इसके परिनियोजन की शुरूआत की है। परिनियोजन में इंटरनेट के माध्यम से सॉफ़्टवेयरों की होस्टिंग - 'www.punarjjani.in' और विद्यालयों को प्रशिक्षण और निरंतर सहायता शामिल है।

पुनर्जनी का प्रशिक्षण लेते शिक्षक

कक्षा में मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे

3.3.3 चिक का परिनियोजन (कशीदाकारी हेतु कैड उपकरण)

चिक एक कैड उपकरण है जिसका इस्तेमाल शिल्पकार कशीदाकारी के डिज़ाइनों को बनाने में कर सकते हैं। इससे उत्पादकता बढ़ती है, डिज़ाइन की पिछली अवधारणाएं समृद्ध होती हैं और विभिन्न प्रकार के रोज़गार एवं व्यापारों का सृजन होता है। डिज़ाइनों को कंप्यूटर से कपड़ों, कागज़ों जैसी विभिन्न माध्यमों पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

चिक कैड को इन स्थानों में परिनियोजित किया जा चुका है - नई दिल्ली में शाहपुर जाट; फ़र्रूखाबाद में कम्पिल्या, उ.प्र. के मेरठ स्थित एम.एस.एम.ई. समूह में; उप्र के नोएडा और वाराणसी समूहों में राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एन.आई.ई.एस.बी.यू.डी.) । इस उपकरण का इस्तेमाल करके 100 से अधिक शिल्पकारों को प्रशिक्षित किया गया और 1500 से अधिक डिज़ाइन बनाए जा चुके हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के फ़ैशन डिज़ाइनिंग के पाठ्यक्रम के तहत कशीदाकरी डिज़ाइन मॉड्यूल में में चिक उपकरण पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कम्पिल्या में चिक कैड पर प्रशिक्षण

एन. आई. ई. एस. बी. यू. डी. में चिक कैड पर प्रशिक्षण

3.3.4 शैक्षिक सामग्री का परीक्षण परिनियोजन

मीडिया लैब एशिया ने मल्टीमीडिया पर आधारित कक्षा ग्यारह एवं बारह के लिए ई-अध्ययन अनुप्रयोगों Ganitmitra™, e-vigyanshala™ तथा पूर्व-प्राथमिक शिक्षक किट Balshiksha™ का विकास किया है, इनका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ विद्यालयों में परीक्षण परिनियोजन किया जा रहा है।

इन उत्पादों को अब सरकारी स्कूलों में परिनियोजित किए जाने की योजनाएं चल रही हैं। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत चलने वाले चुनिंदा आंगनवाड़ी केंद्रों में भी Balshiksha™ के परिनियोजन की योजना चल रही है।

3.3.5 Shikshan™ का परीक्षण परिनियोजन (बुद्धिमत्तापूर्ण शिक्षण प्रणाली)

Shikshan™ बुद्धि कौशल से युक्त शिक्षण प्रणाली है जिसे ई-अध्ययन के वातावरण में इस्तेमाल किया जाता है। Shikshan™ स्वयं को विद्यार्थियों की विभिन्न श्रेणियों और गति के अनुकूल बना लेता है। इस प्रणाली से शिक्षक और विद्यार्थी के बीच वन-टू-वन संबंध कायम होता है। Shikshan™ का परिनियोजन उस्मानिया विश्वविद्यालय के 11 कॉलेजों और दिल्ली के कुछ मैनेजमेंट कॉलेजों में किया गया है। कठिनता के आधार पर उस्मानिया विश्वविद्यालय में द्विस्तरीय सामग्री का विकास किया जाना प्रस्तावित है। पहले मैनेजमेंट विषयों के लिए और फिर उन्हें Shikshan™ के साथ एकीकृत किया जाएगा। इस प्रणाली के मैनेजमेंट संकाय और विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने की संभावना है।

3.3.6 eGalla™ का परिनियोजन

eGalla™ ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों संस्करणों में उपलब्ध एक खुदरा प्रबंधन प्रणाली है। इस प्रणाली में सामग्री नियंत्रण, सामान, उपभोक्ता/दुकानदार और बिक्री/खरीदी प्रबंधन जैसे विषय शामिल हैं। eGalla™ का परिनियोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की 10 चावल मिलों, भारत सरकार के लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत आने वाले नोएडा स्थित एन.ई.आई.एस.बी.यू.डी. के सहयोग से मेरठ और मुरादाबाद के एम.एस.एम.ई. प्रशिक्षण केंद्रों में किया गया है। मुरादाबाद के ब्रास समूह, फ़र्रूखाबाद के आलू समूह और मेरठ के कैंची समूह जैसे विभिन्न समूहों में eGalla™ को परिनियोजित किए जाने की योजनाएं हैं।

मुरादाबाद में ई-गल्ला का प्रशिक्षण लेते दुकानदार

ई-गल्ला का उपयोग करता दुकानदार

4. सूचना और प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (आई.टी.आर.ए.)

सूचना और प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (आई.टी.आर.ए.) सूचना और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन बनाने हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसके साथ ही यहां चुनिंदा अनुसंधान या अनुप्रयोग समस्याओं के विभिन्न पक्षों में दक्षता प्राप्त अनुसंधानकर्ताओं और संस्थानों की टीमों के गहन सहयोग से सूचना और प्रौद्योगिकी आधारित समस्या का समाधान निकालने और समाज का विकास करने के शैक्षणिक संस्कार का संस्थापन होता है। सूचना और प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्र इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, तथा विद्युतीय इंजीनियरिंग, तथा अन्य किसी भी क्षेत्र से संबद्ध हो सकते हैं।

सूचना और प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी कार्यक्रम का क्रियान्वयन मीडिया लैब एशिया के एक अलग विभाग के रूप में किया गया है। इस अकादमी की गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक परियोजना परिचालन और क्रियान्वयन समूह (पी.एस.आई.जी.) की स्थापना की गई है। इस समूह द्वारा अभी तक किए गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है:

i. दिल्ली में 28-30 सितंबर, 2011 को "जल संसाधनों की दीर्घकालिकता पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित नवोन्मेषण" विषय पर एक रणनीति निर्माण मीटिंग (एस.एफ़.एम.) का आयोजन किया गया था। इस मीटिंग का उद्देश्य इस क्षेत्र में विशेष लक्ष्यों और सिद्धांतों को निर्धारित करना तथा संगठन की संस्थागत संरचना, अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों, क्रियान्वयन और मूल्यांकन योजना और साझेदारी, सहयोग एवं परामर्श हेतु योजनाओं का विकास करना था। इस मीटिंग में 50 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहभागी उपस्थित रहे थे। इस मीटिंग में निम्नलिखित विषयवस्तुओं की पहचान की गई:

   ए. आर्थिक विकास हेतु जल-मौसम विज्ञान संबंधी पूर्वानुमानों में सुधार करना।

   बी. कृषि में विस्तृत जल उपयोग क्षमता के माध्यम से भूमिगत जल के स्तर और गुणवत्ता में सुधार करना।

   सी. शहरी क्षेत्रों में चौबीसों घंटे जल की उपलब्धता के लिए संपूर्ण शहरी जल प्रबंधन।

   डी. एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के लिए अंत: कुंडीय जल स्थानांतरण।

ii. दिल्ली में 10-12 अक्टूबर, 2011 को "मोबाइल कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग और अनुप्रयोग" विषय पर एक रणनीति निर्माण मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में शिक्षा क्षेत्र, सरकार और उद्योग से जुड़े 50 से अधिक भारतीय और विदेशी सहभागी उपस्थित थे। कार्यक्रम में कई आमंत्रित वक्ताओं द्वारा वार्ताएं शामिल थीं, जिन्होंने अपनी वर्तमान गतिविधियों और विगत अनुभवों का विवरण दिया था। इन वार्ताओं ने ब्रेकआउट सत्रों के दौरान आयोजित हुई चर्चाओं के लिए पृष्ठभूमि और जानकारी के स्रोत का काम किया था, परिणामस्वरूप विचारोत्तेजक चर्चाओं ने स्थान लिया और रणनीति निर्माण मीटिंग की अनुशंसाएं विकसित की गईं। रणनीति निर्माण मीटिंग की अनुशंसाएं निम्नलिखित विषयों पर आधारित थीं:

   ए. अनुसंधान और विकास की चुनौतियां

   बी. क्षमता निर्माण

   सी. शैक्षिक पाठ्यक्रम का विकास

   डी. उत्कृष्टता केंद्र

   ई. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

इन मीटिंगों के पश्चात दोनों केंद्रित क्षेत्रों के लिए प्रस्तावों हेतु अनुरोध तैयार और वितरित किए गए थे। वर्तमान में "जल संसाधनों की दीर्घकालिकता पर सूचना और प्रौद्योगिकी आधारित खोजें" विषय पर 30 से अधिक प्रस्ताव और "मोबाइल कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग और अनुप्रयोग" विषय पर 60 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनकी समीक्षा की जा रही है।

5. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग (एन.ई.जी.डी.)

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग को मीडिया लैब एशिया के अधीन एक स्वतंत्र व्यावसायिक विभाग के रूप में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग को भारत सरकार ने 18 मई 2006 को निम्नलिखित दृष्टिकोण के साथ अनुमोदित किया, जिसमें 31 लक्ष्य मोड परियोजनाएं और 8 घटक शामिल हैं:

"सामान्य सेवा बिक्री केंद्रों के ज़रिए आम आदमी के लिए उसके जीवनोपयोगी क्षेत्र में सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध हों और इन सेवाओं की उपलब्धता उचित दरों पर क्षमता, पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता के साथ सुनिश्चित हो ताकि आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकें।"

वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग ने निम्नलिखित कार्य किए:

परियोजना समीक्षा**-** परियोजना समीक्षाओं के अंश के रूप में, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग ने पंचायती राज लक्ष्य मोड परियोजना, विशिष्ट पहचान संख्या/ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर लक्ष्य मोड परियोजना, ई-अधिप्राप्ति लक्ष्य मोड परियोजना, आप्रवासन लक्ष्य मोड परियोजना, कृषि लक्ष्य मोड परियोजना, रोज़गार कार्यालय लक्ष्य मोड परियोजना, ई-जिला लक्ष्य मोड परियोजना और आम सेवा केंद्र योजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की समीक्षा की। कई राज्य सरकारों के व्यापारिक करों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, ई-नगर निगम लक्ष्य मोड परियोजना और कोष लक्ष्य मोड परियोजना की भी समीक्षा की गई। अभी तक 30 से अधिक परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग ने भूमि स्वामी विधेयक से संबंधित कई नीतियों और विधेयकों, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी, राष्ट्रीय रोज़गार नीति, जानकारी मानकों के लिए राष्ट्रीय नीति, जनता हेतु रोज़गार और पहुंचने में अक्षमता विधेयक का वार्षिक प्रतिवेदन, भूमि अधिग्रहण विधेयक और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक की समीक्षा की है। यह विभाग शिक्षा और स्वास्थ्य की नई लक्ष्य मोड परियोजना का विकास एवं प्रमुख विषय-क्षेत्र निर्धारण के साथ शुरूआत करने में सक्रिय रूप से शामिल है। भारत निर्माण सामान्य सेवा केंद्र योजना पर एक प्रतिनिधिमंडल नोट की तैयारी, वितरण और उसे अंतिम रूप देने में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता की है, इस योजना में एक अनुमान के अनुसार लगभग 2803 करोड़ रूपए लगे हुए हैं।

कार्यक्रम प्रबंधन और निगरानी: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग का मासिक प्रगति प्रतिवेदन, परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री की समिति, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परामर्शी समूह की मीटिंग, शीर्ष समिति की मीटिंगें, मिशन के नेताओं की परिषद, आदि विभिन्न गतिविधियों के तहत इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के प्रबंधन में अग्रणी भूमिका रही है।

प्रौद्योगिकी प्रबंधन सहायता: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाई है: ई-प्राधिकरण, मानक, रणनैतिक नियंत्रण, सामान्य सेवाएं और साझा मंच।

प्रतिबद्ध परियोजना टीम**:** 'प्रतिबद्ध परियोजना टीम स्थापित करने के लिए निर्देश' जारी करने में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता की।

मोबाइल सेवा सुपुर्दगी द्वार: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग ने इस शुरूआत के लिए समग्र नेतृत्व प्रदान किया और परियोजना की शुरूआत से ही उसकी प्रगति का निरीक्षण और निगरानी की।

प्रस्ताव अनुरोध का मानकीकरण: अंतर्निहित विभागों और राज्य सरकारों के लिए ई-गवर्नेंस परियोजनाओं हेतु पी.पी.पी. या अन्य किसी विधि से सामानों, सेवाओं, कार्यों और प्रबंधित सेवाओं की प्राप्ति में उपयोग के लिए मार्गदर्शक नोट और उपकरण किट सहित के प्रस्ताव अनुरोध के नमूनों के निरूपण में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता की है।

ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए साइबर सुरक्षा ढांचा: ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए साइबर सुरक्षा ढांचा बनाने में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता कर रहा है।

मोबाइल गवर्नेंस: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग इस परियोजना की संकल्पना, निरीक्षण और निगरानी में एक संपूर्ण नेतृत्व प्रदान कर रहा है।

सहभागिता सेवा सुपुर्दगी मंच: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग ने ई-गवर्नेंस के ऐसे मंचों के उद्भव की अवधारणा पर काम किया जिसे केंद्र और राज्यों के मंत्रालयों / विभागों / संस्थाओं की सहभागिता से पूर्ण किया जा सकता है।

सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण विधेयक, 2011: इस विभाग ने 27/12/2011 को लोकसभा में सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण विधेयक का मसौदा तैयार करने और उसका परिचय कराने में भरपूर सहायता की है। सूचना प्रौद्योगिकी विषयक संसदीय स्थायी समिति के समक्ष इसकी विचार हेतु सिफारिश 05/01/2012 को भेज दी गई है।

जागृति और संचार: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम यानी *एन.ई.जी.पी.* के बारे में जागृति फैलाने के काम में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता करने के लिए, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग ने कई गतिविधियां आयोजित की हैं जैसे कार्यशालाएं, सेमिनार, क्षेत्रीय परामर्शी कार्यशालाएं, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (एन.सी.ई.जी.)। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में एक झांकी प्रस्तुत की। झांकी में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम की विषयवस्तु का प्रदर्शन किया गया और उसके थीम गीत के ज़रिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम की झलक दिखाई गई है। एलीटेक्स 2011, मास मीडिया के क्षेत्र में पहला विस्फोट और विटफ़ोर 2012 ऐसे कुछ प्रमुख आयोजन हैं जिनमें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता की है।

क्षमता निर्माण योजना: ई-गवर्नेंस लक्ष्य टीमों का निर्माण - सी.बी.एम.सी. ने 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पेशेवर व्यक्तियों को नियुक्त किया। अब तक 241 व्यक्ति विभिन्न राज्य ई-गवर्नेंस मिशन टीमों से जुड़ चुके हैं और 224 व्यक्ति सक्रिय रूप से इस योजना के तहत काम कर रहे हैं।

प्रशिक्षण: मार्च 2012 तक, 19 राज्यों में 21 सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं जिनमें मंत्री/एम.एल.ए. और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भाग ले चुके हैं।

विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम: 31 मार्च 2012 तक, एन.आई.एस.जी. ने 71 कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 20 राज्य के प्रतिनिधियों और 1915 सहभागियों ने हिस्सा लिया था।। राज्य ई-गवर्नेंस मिशन टीम के सदस्य के लिए अनुकूलन प्रशिक्षण के पांच अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। 34 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के ई-गवर्नेंस मिशन टीमों के कुल 205 सदस्य और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग केंद्रीय दल के 8 सदस्य इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। छठे अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन वर्ष 2012 के जून महीने में हुआ।

(इंदौर और अहमदाबाद स्थित) भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा आयेजित भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए ई-जी.पी.एक्स. प्रमाणन कार्यक्रम और प्रबंधकों के लिए ई-गवर्नेंस में प्रमाणपत्र कार्यक्रम के तहत अभी तक 50 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

ई-गवर्नेंस कार्यक्रमों में नेतृत्व करने के लिए विभागों और मंत्रालयों के भीतर प्रतिभा समूह बनाने के लिए एक प्रमुख सूचना अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात *चीफ़ इन्फ़ॉर्मेशन ऑफ़िसर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम (सी.आई.ओ.)* की शुरूआत की गई है। एन.आई.एस.जी. की सहायता से पांच-पांच सप्ताहों की अवधि के दो शुरूआती प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। राज्य और केंद्रीय लक्ष्य मोड परियोजनाओं के 46 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। दो शुरूआती कार्यक्रमों से प्राप्त शिक्षा के आधार पर विश्व बैंक के डी.पी.एल. के अधीन एक राष्ट्रीय रोलआउट योजना का प्रस्ताव किया गया है।

ई-गवर्नेंस नीति निर्माताओं, निर्णायकों और विशेषज्ञों हेतु सवश्रेष्ठ व्यवहारों और ई-गवर्नेंस ढांचे के क्रियान्वयन की जानकारी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन यात्रा। जून 2011 में प्रतिनिधियों का एक समूह एस्टोनिया ई-गवर्नेंस अकादमी में भेजा गया था।

परिस्थिति अध्ययन: ज्ञान प्रबंधन संरचना के अधीन मामलों के अध्ययन के विकास के लिए एक कार्यक्रम प्रगति पर है। उद्योग, शैक्षिक जगत और सरकारी अधिकारियों का ध्यान इस कार्यक्रम की ओर आकर्षित हुआ है।

6. भविष्य की गतिविधियां और प्रस्तावित परियोजनाएं

6.1 डिजिटल उत्पाद डिज़ाइन प्रयोगशालाएं

मीडिया लैब एशिया बैंगलोर (आई.आई.एस.सी.) और दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में डिजिटल उत्पाद डिज़ाइन प्रयोगशालाओं की स्थापना करने की योजना बना रही है। लगभग छह महीने की अवधि के भीतर आवश्यकताओं, अनुसंधानों और विचारों को व्यावहारिक उत्पादों में बदलने के लिए प्रयोगशालाओं की परिकल्पना की गई है। ये प्रयोगशालाएं अनुसंधान और बाज़ार के बीच के अंतर को पाटने के लिए मध्यस्थ की भूमिका अदा करेंगी। ये प्रयोगशालाएं उत्पाद की विकास प्रक्रिया को गति देने के लिए सामान्य पुनरुपयोग के लायक घटकों और मंचों के विकास पर केंद्रित रहेंगी।

कम से कम शुरूआती तौर पर बैंगलोर स्थित डी.पी.डी.एल. इनपुट के लिए आई.आई.एस.सी. (अन्य शैक्षिक संस्थानों के कुछ अन्य स्रोतों के साथ) के अनुसंधान विचारों और परिणामों पर मुख्यत: निर्भर रहेगा। इस प्रयोगशाला में अनुसंधान के विषय सामान्य रूप से शिक्षकों के अनुभव, वर्तमान नवीनतम प्रौद्योगिकी, क्षेत्र विशेष की चुनौतियों और पिछले कार्य को जारी रखने पर आधारित रहेंगे। यदि डी.पी.डी.एल. इनमें से कुछ

विचारों को सफल उत्पादों में बदल देता है तो आगे चलकर, अनुसंधानकर्ता प्रयोगशाला से आसानी से प्रभावित हो सकते हैं।

दिल्ली स्थित डी.पी.डी.एल. मुख्यतः मीडिया लैब एशिया के, इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संस्थानों के, और अन्य शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रयोगशालाओं के विचारों, प्रौद्योगिकियों, उत्पाद नमूनों तथा नई और उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रदत्त सतत अवसरों के, मानकों और उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं (क्षेत्रगत अथवा प्रयोगशाला और नियोजन के स्तर) पर निर्भर रहेगा। बाज़ार के अपने अनुभव से मीडिया लैब एशिया के विशेषज्ञ और उसका पारिस्थितिकीय तंत्र उन आवश्यकताओं की परिकल्पना विकल्पों के संदर्भ में तैयार करेगा।

6.2 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए मोबाइल आधारित कृषि परामर्शी प्रणाली

मीडिया लैब एशिया मोबाइल आधारित कृषि परामर्श प्रणाली का प्रसार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कर रहा है। मीडिया लैब एशिया ने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 'उत्तर-पूर्वी भारत में मोबाइल आधारित कृषि विस्तार प्रणाली **(**एम**4**एग्री एन.ई.आई.**)**' की परिकल्पना की है। मीडिया लैब एशिया कार्य समूह ने पद्मभूषण प्रो. आर. बी. सिंह – और कृषि विज्ञान राष्ट्रीय अकादमी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कृषि परियोजना संबंधी प्रस्ताव के बारे में चर्चा की और उसका अनुमोदन किया है। एम**4**एग्री एन.ई.आई. का प्रमुख उद्देश्य मोबाइल आधारित कृषि विस्तार प्रणाली के क्रियान्वयन के द्वारा उत्पादकता बढ़ाना और सही समय पर सही जानकारी देकर किसानों को सशक्त बनाना है। शुरूआत में 2 वर्षों के भीतर मेघालय के 3 जिलों के 40 गांवों में रहने वाले 5000 किसानों की सेवा का लक्ष्य है। परियोजना के क्षेत्रीय क्रियान्वयन की प्रमुख ज़िम्मेदारी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के बारापानी स्थित स्नातकोत्तर अध्ययन कॉलेज की होगी और वही किसानों को सलाहकारी सेवाएं प्रदान करेगा। बारापानी स्थित स्नातकोत्तर अध्ययन कॉलेज में मल्टीमीडिया आधारित कृषि सलाहकारी प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी, जबकि मीडिया लैब एशिया परियोजना का समग्र अध्ययन तथा निगरानी करने के अतिरिक्त आवश्यक सॉफ़्टवेयर अनुप्रयोगों को विकसित करेगी तथा परियोजना को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यक सेवाएं प्रदान करेगी।

6.3 उड़ीसा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की निगरानी हेतु प्रणाली का प्रसार

उड़ीसा के अंगुल जिले के पल्लाहारा खंड में प्रणाली के शुरूआती परिनियोजन से प्राप्त सफलता के अनुभवों के आधार पर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की निगरानी हेतु प्रणाली को अंगुल जिले और उड़ीसा के अन्य जिलों में बढ़ाने के लिए एक परियोजना तय की गई है। इस प्रणाली में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से रोगियों की जानकारी केंद्रीय सर्वर पर एस.एम.एस. के द्वारा भेजी जाती है और जांच के परिणाम तुरंत और प्रभावपूर्ण तरीके से प्राप्त किए जाते हैं ताकि उनका समय पर उपचार हो सके। जी.आई.एस. भी इस प्रणाली के साथ ही एकीकृत किया जाएगा जो अनुसंधानकर्ताओं, नीति निर्माताओं और सरकार को जागृति, सुरक्षा और उपचार की नीति बनाने में सक्षम बनाएगा। यह प्रणाली मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की निगरानी में और विशिष्ट क्षेत्र में बीमारी की पुनरावृत्ति की रोकथाम में सहायक होगी।

6.4 स्वास्थ्य के लिए जिला स्तरीय एकीकृत ई-उत्पाद (दिनेश)

यह नई पीढ़ी की एक प्रणाली होगी जिसमें मोबाइल स्मार्ट-फ़ोन, लोगों के यू.आई.डी. और ई.एच.आर./ई.एम.आर. संगत जानकारी को एकत्रित किया जाएगा। यह प्रणाली ई.एच.आर./ई.एम.आर. संगत जानकारी को टेलीमेडिसिन परामर्शों में, उचित कीमत वाले परीक्षण और स्वास्थ्य सेवा उपकरणों के उपयोग में और जिलागत एवं विशेषज्ञ अस्पतालों में रोगियों की प्रयोगशाला और रेडियोलॉजी रिपोर्टों को बैक-एंड के साथ एकीकृत करने में, बहु-पक्षीय बैठकों में, विशेषज्ञ डॉक्टर की टिप्पणियों और सलाहों के सत्यापन और लेखा सत्यापन में, रोग विषयक एवं अनुसंधान जानकारी को सुरक्षा, निजता और गोपनीयता की संरचना के अंतर्गत ई.एच.आर./ई.एम.आर. संगत जानकारी को उपलब्ध कराना और उसकी बैक-एंड संरचना तथा अनुप्रयोग की क्लाउड में संभावित होस्टिंग प्रदान करेगा। ऐसी योजना बनाई जा रही है कि पहले प्रोटोटाइप नमूना विकसित किया जाएगा और फिर चयनित प्लेटफ़ॉर्म के लिए आवश्यक सॉफ़्टवेयर का विकास किया जाएगा। इस प्रणाली का संपूर्ण चयनित जिले में क्रियान्वयन करने से पहले परिनियोजन परीक्षण सेवाएं देने के साथ ही क्षमता निर्माण, बी.पी.आर. (व्यवसाय प्रक्रिया पुनः इंजीनियरिंग) किया जाएगा।

6.5 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित संसाधन केंद्र की स्थापना

उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय समुदायों में रोजगार संवर्धन और क्षमता निर्माण हेतु मीडिया लैब एशिया की प्रौद्योगिकियों के परिनियोजन के लिए एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित संसाधन केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से मीडिया लैब एशिया उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कला समूहों के लिए कपड़ा उद्योग हेतु कैड उपकरण को अनुकूलित और परिनियोजित करेगा, सुदूर क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सुविधाओं के परिनियोजन, मल्टीमीडिया और शैक्षिक सामग्रियों के परिनियोजन और ई.आर.पी. के क्षेत्र में फुटकर प्रबंधन पैकेजों के परिनियोजन की संभावनाओं को तलाशेगा। यह परियोजना भारत सरकार के उत्तर-पूर्वी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में ली गई है।

6.6 स्वास्थ्य सेवा का एक विश्वकोश: हैल्थपीडिया

हैल्थपीडिया स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित एक बहुभाषी तथा सहयोगात्मक पोर्टल है। इसमें स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां भारत के विभिन्न राज्यों तथा समस्त विश्व के संस्थानों, अलग-अलग व्यक्तियों जैसे विद्यार्थियों एवं स्वयंसेवकों द्वारा मिलकर तैयार की जाएगी - इस वेबसाइट का उपयोग करने वाले पंजीकृत पेशेवर व्यक्ति और पाठक अपनी टिप्पणी दे सकेगा और उसे संपादित कर सकेगा। हैल्थपीडिया स्वास्थ्य संबंधी लेखों का निष्पक्ष रूप से जांच करने के पक्ष में होगा, इस प्रक्रिया में प्रणाली के पूर्वाग्रहों एवं अनियमितताओं को सर्वसम्मति से उस लेख की विश्वसनीयता को बनाए रखा जाएगा। हैल्थपीडिया स्वास्थ्य की असंख्य आम समस्याओं को संबोधित करते हुए जनता में जागरूकता और शिक्षा का प्रसार करने में मदद करेगा। इसका उपयोग करके समाज के विभिन्न तबकों तक पहुंचकर सामुदायिक स्तर पर सार्वजनिक/निजी स्वास्थ्य संरचना के ज़रिए गृहिणियों को अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य ठीक रखने संबंधी ज्ञान से लैस किया जा सकेगा तथा स्वास्थ्य और रोगों की रोकथाम के प्रसार के लाभों को राज्य/राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जा सकेगा। इसमें औषधियों का (एलोपैथी, होमियोपैथी, योग, सिद्ध, यूनानी उपचार पद्धतियों से युक्त) एक एकीकृत ज्ञान-भंडार होगा जिससे आम आदमी की स्वास्थ्य सेवा संबंधी आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सकेगा। इसे घरों, क्लिनिकों, अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों, सार्वजनिक स्थानों और विद्यालयों में स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हैल्थपीडिया स्वास्थ्य और रोग की रोकथाम के प्रसार के लिए आम आदमी को शिक्षित करेगा।

6.7 हृदय गति दर परिवर्तनशीलता आंकलन पर राष्ट्रीय पोर्टल

देश भर के प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों, अनुसंधानकर्ताओं और शैक्षिक जगत के लोगों को सशक्त बनाने के लिए हृदय गति दर की परिवर्तनशीलता के आंकलन संबंधी राष्ट्रीय पोर्टल का निर्माण और विकास**:** अनेक डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कार्यों में हृदय दर परिवर्तनशीलता विश्लेषण तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉफ़्टवेयर की अनुपलब्धता (महंगा होने या ज्ञान न होने के कारण) की वजह से कई सुदूर क्षेत्रों में इस प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य सेवाओं और उपकरणों को सुदूर क्षेत्रों में उपलब्ध कराना और इसके साथ ही हृदय दर परिवर्तनशीलता विश्लेषण पर एक राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण करना है। प्रारंभ में पोर्टल का उपयोग उपचार में क्रियान्वयन यानी देश के हर क्षेत्र में रोगियों की सेवा के लिए किया जाएगा। इसके बाद पोर्टल के अपेक्षित लाभों में चिकित्सा सेवा में अनुसंधान और जैव-चिकित्सीय अनुप्रयोग से संबंधित प्रौद्योगिकियों का विकास होना शामिल होगा। पोर्टल के दीर्घकालीन उपयोग और लाभ, रोगी और स्वस्थ व्यक्तियों के हृदय गति दर में परिवर्तनशीलता की जानकारी का एक राष्ट्रीय कोष का निर्माण करना होगा। इस जानकारी का भंडार स्वास्थ्य क्षेत्र में नियोजन करने और निर्णय लेने के लिए उपयोगी रहेगा और इसकी लागत भी कम होगी।

7. कर्मचारियों के विवरण

1975 के कंपनी (कर्मचारियों के विवरण) नियमों के साथ पठित 1956 के कंपनी अधिनियम की धारा 217 (2 ए) के प्रावधान में बताए अनुसार रू. 200000/- का वेतन प्राप्त करने वाला अथवा प्रति महीना इससे अधिक वेतन अथवा रू. 2400000/- या अधिक प्रति वर्ष का वेतन किसी कर्मचारी ने प्राप्त नहीं किया है।

8. निदेशक मंडल

निम्नलिखित निदेशक ही मीडिया लैब एशिया के मंडल के निदेशक हैं:

- **श्री आर. चंद्रशेखर, आई.ए.एस.** (पदेन)**, सचिव**, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार 14.03.2012 को
- श्री रत्नाकर यशवंत गायकवाड, आई.ए.एस. (पदेन), प्रमुख सचिव, महाराष्ट्र राज्य सरकार 31.05.2012 को
- **श्री** आर. भट्टाचार्य, आई.ए.एस., विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार 30.09.2012 को
- श्रीमती अंशु वैश, आई.ए.एस., सचिव, विदयालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार 30.09.2012 को
- **श्री** अजय प्रकाश साहनी, आई.ए.एस.**,** अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एन.ई.जी.डी., मीडिया लैब एशिया **16.08.2012 को**

मीडिया लैब एशिया के मंडल में निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति की गई है :

- **श्री** जे. सत्यनारायण**, आई.ए.एस.** (पदेन), **सचिव**, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार। (14.03.2012 से)

- श्री जयंत कुमार बंथिया, आई.ए.एस. (पदेन), प्रमुख सचिव, महाराष्ट्र राज्य सरकार (31.05.2012 से)
- श्रीमती अनीता अग्निहोत्री, आई.ए.एस., अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार (17.10.2012 से)
- श्री आर. भट्टाचार्य, आई.ए.एस., सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (16.10.2012 से)
- श्री वी. एल. कांता राव, आई. ए. एस., अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एन.ई.जी.डी., मीडिया लैब एशिया (08.11.2012 से)

1956 के कंपनी अधिनियम की धारा 256 के प्रावधान के अनुरूप, परिणामी वार्षिक सामान्य बैठक में चक्रीय आधार पर डॉ. एफ़. सी. कोहली, श्री सोम मित्तल और प्रो. देवांग खख्खर अपनी सेवाओं से अवकाश ग्रहण कर लेंगे और चूंकि वे योग्य पात्र हैं, वे निदेशक के रूप में अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तावित कर सकते हैं।

9. निदेशक उत्तरदायित्व कथन

[1956 के कंपनी कानून की धारा 217 (2एए) के अनुसार]

निदेशकगण इस बात की पुष्टि करते हैं कि,

1. खातों को तैयार करते समय लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है।
2. आई.आई.टी. संस्थानों और अन्य संगठनों को दी गई अग्रिम राशियों, जिनका हिसाब नकद किया जाता है, को छोड़कर चयनित लेखांकन नीतियों को एकरूपता के साथ लागू किया गया है। 31 मार्च 2012 को कंपनी के मामलों और 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के आय और व्यय विवरण की स्थिति के वास्तविक और न्यायसंगत रूप को सामने रखने के लिए उचित निर्णय और अनुमान किए गए हैं;
3. कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं से सुरक्षा और उनका पता लगाने के लिए 1956 के कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव हेतु उचित रूप से ध्यान रखा गया है; और

10. यह वित्तीय विवरण चालू एकीकृत खातों में अंकित आंकड़ों पर आधारित है।वित्त

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान मीडिया लैब एशिया की प्रमुख गतिविधियों के लिए रू. 8.30 करोड़ की और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग परियोजनाओं के लिए रू. 23.86 करोड़ रूपए का सहायता अनुदान प्रदान किया है, दोनों का कुल जोड़ रू. 32.16 करोड़ होता है।

11. सावधि जमा

कंपनी ने 1956 के कंपनी कानून की धारा 58ए तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अर्थ के तहत आने वाली किसी जमा राशि को स्वीकार नहीं किया है।

12. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशिता और विदेशी विनिमय आय तथा व्यय का विवरण

12.1 ऊर्जा संरक्षण

सभी स्तरों पर ऊर्जा संरक्षण के उपाय किए गए हैं।

12.2 प्रौद्योगिकी

अपने कार्यों को सुचारू रखने के लिए कंपनी ने नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया।

12.3 विदेशी विनिमय आय और व्यय

	रू. **'000**
विदेशी मुद्रा में आय	शून्य
विदेशी मुद्रा में कुल व्यय तिथि :	
i) पूंजीगत मदों का आयात (सी.आई.एफ़ मूल्य)	शून्य
ii) पेशेवर शुल्क	शून्य
iii) अन्य व्यय (ट्रेड मार्क पंजीकरण, यात्रा, संचार और अन्य लागतें)	शून्य

13. लेखा परीक्षक प्रतिवेदन

कंपनी के संवैधानिक लेखा परीक्षकों, मैसर्स सोराब एस. इंजीनियर एंड कं., चार्टर्ड अकाउंटेंटों का प्रतिवेदन, एतद्द्वारा संलग्न किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के मीडिया लैब एशिया के वार्षिक खातों पर संवैधानिक लेखा परीक्षकों के अवलोकन पर बिंदुवार टिप्पणियां इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न की गई हैं।

14. आभार-कथन

निदेशकगण भारत सरकार के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग; महाराष्ट्र सरकार; महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम; दिल्ली, मुंबई, कानपुर, खड़गपुर और चेन्नई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (नई दिल्ली), अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (हैदराबाद), नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ ब्लाइंड (नई दिल्ली), भारतीय पुनर्वास परिषद (नई दिल्ली), अमृता विश्व विद्यापीठम् (कोयंबटूर), डिजिटल एंपॉवरमेंट फ़ाउंडेशन (नई दिल्ली), वेबल मीडियाट्रॉनिक्स लिमिटेड (कोलकाता), पुणे और तिरुवनंतपुरम स्थित प्रगत संगणन विकास केंद्र (सीडैक), बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मिज़ोरम राज्य के शिक्षा विभाग, कर्मचारियों और बैंककर्मियों को पिछले वर्ष उनके द्वारा प्रदान किए गए समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षरित

नई दिल्ली, 27 नवंबर 2012

कानूनी लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकन पर मीडिया लैब एशिया की टिप्पणियां

वित्तीय वर्ष 2011-12 के मीडिया लैब एशिया के वार्षिक खातों पर कानूनी लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकन पर बिंदुवार टिप्पणियां

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	मीडिया लैब एशिया का स्पष्टीकरण
4(ए)	पूंजी व्यय के ग़लत वर्गीकरण के संबंध में हमारे अवलोकन के बाद, डिजिटल एंपॉवरमेंट फ़ाउंडेशन से वित्तीय वर्षों 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के व्ययों के संशोधित लेखा परीक्षित विवरण प्राप्त हुए हैं। मीडिया लैब एशिया को परियोजना बजट के पुन:विनियोजन का अनुमोदन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त हुआ है, देखें प्रशासनिक अनुमोदन सं.1(12)/2008-ई.ए. तिथि 18 सितंबर 2012। मीडिया लैब एशिया इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिए गए प्राधिकार के अनुसार वर्ष 2012-13 के बही-खातों में पुन:विनियोजन करेगी। (देखें नोट 21)	कानूनी लेखा परीक्षकों के डिजिटल एंपॉवरमेंट फ़ाउंडेशन द्वारा वर्ष 2010-11 के संबंध में व्यय के ग़लत वर्गीकरण के अवलोकन पर हमारा जवाब यह है कि, फ़ाउंडेशन ने वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के संशोधित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण जमा कर दिए हैं। फ़ाउंडेशन के बजट शीर्षकों के पुन:विनियोजन के अनुरोध को मीडिया लैब एशिया ने अनुमोदन हेतु इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अग्रेषित किया था। मीडिया लैब एशिया को परियोजना बजट के पुन:विनियोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से अनुमोदन प्राप्त हुआ है। देखें प्रशासनिक अनुमोदन सं. 1(12)/2008-ई.ए. तिथि 18 सितंबर 2012। मीडिया लैब एशिया इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिकृत इस पुन: विनियोजन को वर्ष 2012-13 में बही खातों में शामिल कर लेगा।
4(बी)	हमने नई दिल्ली स्थित नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ ब्लाइंड, हैदराबाद स्थित आई.आई.आई.टी., मिज़ोरम के राज्य शिक्षा विभाग, तिरुवनंतपुरम के विकास और प्रगत संगणन केंद्र (सीडैक), पुणे स्थित सीडैक, नई दिल्ली स्थित भारतीय पुनर्वास परिषद और कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के व्ययों के गैर लेखा परीक्षित खातों के विवरणों, जिनका कुल जमा रू. 13,772,389 बनता है (जिसमें पिछले वर्षों के रू. 2,247,808 शामिल हैं) और स्थायी आस्तियों के सकल खाता मूल्य रू. 888,025 बनता है (जिसमें पिछले वर्षों के रू. 756,025 शामिल हैं), पर विश्वास किया है, जिन्हें, इन संगठनों द्वारा जमा खाते के विवरणों, जो संबंधित विभाग/संस्थान प्रमुखों द्वारा प्रमाणित किए गए हैं, के आधार पर, कंपनी के बही	कंपनी ने लेखा परीक्षक प्रतिवेदन के 4(बी) में शामिल संबंधित संस्थानों/संगठनों को चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा लेखा परीक्षित व्यय विवरण जमा करने का निर्देश दिया है। हमें आशा है कि हमें वह समय पर प्राप्त हो जाएगा।

	खातों में शामिल किया गया है। (देखें नोट 21)। परिणामी समायोजन, यदि हुए हैं, की सीमा, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा अन्य उपरोक्त संगठनों के लेखा परीक्षित व्यय विवरणों और स्थायी आस्तियों के लेखा परीक्षित विवरणों की प्राप्ति पर सामने आएंगे, अभी सुनिश्चित करने के योग्य नहीं है।	
5(ए)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा किए गए विदेशी मुद्रा में व्यय की गोपनीयता से संबंधित नोट 22।	मीडिया लैब एशिया ने अपनी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले संस्थानों/संगठनों को विदेशी मुद्रा में हुए व्यय, यदि हुए हों तो, के विवरण को जमा करने के लिए लिखा है। कुछ संगठनों ने सूचना दी है कि उनका व्यय "शून्य" रहा और अन्य संस्थानों से विवरणों के मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।
5(डी)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठनों को नकद आधार पर दी गई अग्रिम राशियों पर हुए व्यय का लेखांकन (देखें नोट 1(ए))	मीडिया लैब एशिया की परियोजनाओं का संचालन करने वाले और नकद आधारित लेखांकन प्रणाली का अनुकरण करने वाले संगठनों से, उनके द्वारा भविष्य में मीडिया लैब एशिया को खातों के विवरण जमा करते समय मीडिया लैब एशिया परियोजना संबंधी खातों को उपचय के आधार पर जमा करने अनुरोध किया जाएगा।

लेखा परीक्षक प्रतिवेदन

1. हमने यहां मीडिया लैब एशिया (1956 के कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत गारंटी द्वारा सीमित कंपनी) के 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के तुलन-पत्र और उस तिथि पर समाप्त हुए वर्ष के संबंधित आय और व्यय विवरण का लेखा परीक्षण किया है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेवारी हैं। हमारा यह दायित्व है कि हम अपने लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करें।

2. हमने अपने लेखा परीक्षण का संचालन भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा परीक्षण मानकों के अनुरूप किया है। हम ऐसे वित्तीय विवरण प्राप्त करें जिसमें वस्तुगत गलत विवरण न होने की पर्याप्त गारंटी हो, उन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम लेखा परीक्षण को नियोजित और निष्पादित करें। लेखा परीक्षण में वित्तीय विवरणों का परीक्षण, परीक्षण आधार पर रकम के समर्थन में प्रमाण और उद्घोषणाएं शामिल हैं। लेखा परीक्षण में उपयोग हुए लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमान तथा संपूर्ण वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल हैं। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हमारे विचारों को एक पर्याप्त आधार प्रदान करता है।

3. इस प्रतिवेदन में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी के (लेखा परीक्षक प्रतिवेदन) (संशोधन) आदेश 2003 के अनुच्छेद 4 और 5 में, 1956 के कंपनी कानून ('कानून') की धारा 227 की उपधारा (4ए) के संदर्भ में उल्लिखित मामलों पर विवरण शामिल नहीं है। उक्त आदेश कंपनी पर लागू नहीं होता, क्योंकि कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत संचालन के लिए प्रमाणपत्र मिला हुआ है।

4. (ए) हमने वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और खड़गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के व्ययों के खातों के विवरण, जिनका कुल जमा रू. 1,511,224 बनता है, और अचल संपत्ति का सकल लेखा मूल्य अनुमानतः रू. 36000**/-** बनता है, किसी अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रतिपादित उन लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सत्यापित की गई हैं तथा इस आय व्यय की लेखा रिपोर्ट कंपनी के हिसाब में निहित है, यह रिपोर्ट भी हमें यथास्थिति में स्वीकार्य है। (देखें नोट 21)।

   निम्नलिखित पर ध्यान दें**:-**

   डिजिटल एंपॉवरमेंट फ़ाउंडेशन द्वारा पूंजी व्यय के ग़लत वर्गीकरण संबंधी वर्ष 2010-11 के हमारे अवलोकन के संबंध में, हमें प्रतिष्ठान से वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के संशोधित लेखा परीक्षित व्यय विवरण प्राप्त हुए हैं। मीडिया लैब एशिया ने परियोजन बजट के पुनर्विनियोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया है, तिथि 18 सितंबर 2012 के प्रशासनिक अनुमोदन सं. 1(12)/2008-ई.ए. देखें। मीडिया लैब एशिया वर्ष 2012-13 के बही-खातों में किताबों में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदत्त प्राधिकार के अनुसार पुनर्विनियोजन को शामिल करेगा। (देखें नोट 21)

(बी) हमने नई दिल्ली स्थित नेशनल ब्लाइंड फ़ाउंडेशन, हैदराबाद स्थित अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मिज़ोरम के राज्य शिक्षा विभाग, तिरुवनंतपुरम के विकास और प्रगत संगणन केंद्र (सीडैक), पुणे स्थित सीडैक, नई दिल्ली स्थित भारतीय पुनर्वास परिषद और कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पिछले वर्षों के व्ययों के गैर लेखा परीक्षित खातों के विवरणों, जिनका कुल जमा रू. 13,772,389 बनता है (जिसमें पिछले वर्षों के रू. 2,247,808 शामिल हैं) और स्थायी आस्तियों के सकल खाता मूल्य रू.

888,025 बनता है (जिसमें पिछले वर्षों के रू. 756,025 शामिल हैं), पर विश्वास किया है, जिन्हें इन संगठनों द्वारा जमा खाते के विवरणों, जो संबंधित विभाग/संस्थान प्रमुखों द्वारा प्रमाणित किए गए हैं) के आधार पर कंपनी के बही खातों में शामिल किया गया है। देखें नोट 21)।

परिणामी समायोजनों के विस्तार को, यदि हुआ है तो, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा अन्य उपरोक्त संगठनों के लेखा परीक्षित व्यय विवरणों और स्थायी आस्तियों के लेखा परीक्षित विवरणों की प्राप्ति पर बनेगा, उसका अभी पता नही लगाया जा सकता है।

5. अनुच्छेद 4 की हमारी टिप्पणियों से आगे, हम ये सूचित करते हैं कि:

ए) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा किए गए विदेशी मुद्रा में व्यय की गोपनीयता से संबंधित नोट 22 दिए गए उल्लेख को छोड़कर, अपनी पूरी जानकारी और लेखा परीक्षण के उद्देश्यों के लिए अपने विश्वास के अनुसार आवश्यक लगने वाली संपूर्ण जानकारी और व्याख्याएं प्राप्त कर ली हैं;

बी) हमारे विचार में, निम्नलिखित अनुच्छेद 5 (डी) में की गई अपनी टिप्पणियों के विषयाधीन, इन लेखा बही के अपने परीक्षण में जैसा हमें नज़र आता है, कंपनी ने अब तक कानून के द्वारा आवश्यक माने जाने वाले बही खातों की उचित देखभाल की है;

सी) इस प्रतिवेदन में शामिल तुलन-पत्र और आय एवं व्यय विवरण लेखा के बहीखातों से मेल खा रहे हैं;

डी) हमारे विचार में और जितनी हमें जानकारी के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी परिषद और अन्य संगठनों को नकद आधार पर दी गई अग्रिम राशियों पर हुए व्ययों के लेखांकन को छोड़कर (नोट 1(ए) देखें), इस प्रतिवेदन में शामिल तुलन-पत्र और आय एवं व्यय विवरण कानून की धारा 211(3सी) में बताए गए लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हैं;

ई) 31 मार्च 2012 को, निदेशकों से प्राप्त लिखित बयानों, और जिन्हें कंपनी के निदेशक मंडल ने रिकॉर्ड में शामिल कर लिया है, के आधार पर 1956 के कंपनी अधिनियम की धारा 274 की उप-धारा (1) के खंड (जी) के संदर्भ में 31 मार्च 2012 को कोई भी निदेशक नियुक्ति के अयोग्य नहीं है;

एफ़)हमें प्राप्त जानकारी और व्याख्या तथा हमारे मतानुसार, उक्त खाते उस पर लिखे नोट के साथ पठित पर, 1956 के कंपनी कानून द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और हमारे अनुच्छेदों 4 (ए) और (बी) तथा 5 (ए), (बी) और (डी) में मौजूद हमारी टिप्पणियों के विषयधीन, भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और निष्पक्ष प्रमाणित करते हैं:

1. 31 मार्च 2012 को कंपनी के मामलों का तुलन-पत्र; और
2. आय और व्यय विवरण के मामले में, उक्त तिथि पर समाप्त होने वाले वर्ष का आय/व्यय पढ़े जाएं।

कृते सोराब एस. इंजीनियर एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
संस्था की पंजीकरण संख्या 110417डब्लू
हस्ताक्षरित
कृते सी.ए. आर. एन. एंकलसारिया
पार्टनर
सदस्यता सं.. 034461
स्थान: मुंबई
तिथि: 27 नवंबर 2012

तुलन-पत्र

मीडिया लैब एशिया
(कपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी)

31 मार्च 2012 के अनुसार तुलनपत्र

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2012 के अनुसार राशि (रूपयों में)	31 मार्च 2011 के अनुसार राशि (रूपयों में)
I.	**शेयर और देयताएं**			
1	शेयरधारकों की निधियां			
	(क) शेयर पूंजी		-	-
	(ख) आरक्षित और अधिशेष	2	83,107,250	82,876,827
2	गैर वर्तमान देयताएं			
	(क) दीर्घकालीन प्रावधान	3	1,191,754	768,547
3	वर्तमान देयताएं			
	(क) अन्य वर्तमान देयताएं	4	396,044,926	449,797,856
	(ख) अल्पकालीन प्रावधान	5	397,251	313,200
	कुल		**480,741,181**	**533,756,430**
II.	**आस्तियां**			
1	गैर वर्तमान आस्तियां			
	(क) स्थिर आस्तियां	6		
	(i) मूर्त आस्तियां		81,346,645	79,971,455
	(ii) अमूर्त आस्तियां		1,760,606	2,905,373
			83,107,251	82,876,828
	(ख) गैर वर्तमान निवेश	7	2,400	2,400
	(ग) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम राशियां	8	6,300,089	6,239,179
	(घ) अन्य गैर वर्तमान आस्तियां	9	310,803,831	353,320,254
2	वर्तमान आस्तियां			
	(क) नकद और नकद सम	10	561,096	21,947,488
	(ख) अल्पकालीन ऋण और अग्रिम राशियां	11	56,821,994	14,215,517
	(ग) अन्य वर्तमान आस्तियां	12	23,144,520	55,154,764
	कुल		**480,741,181**	**533,756,430**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश 1

ऊपर दिखाए गए नोट तुलनपत्र का एक महत्वपूर्ण अंग हैं और उन्हें तत्पश्चात जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए।

हमारे प्रतिवेदन के अनुसार सम तिथि संलग्न है।
कृते सोराब एस. इंजीनियर एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फ़र्म पंजीकरण संख्या 110417डब्लू

सीए. आर.एन. एंकलसारिया
सहभागी
सदस्यता सं. 034461

मुंबई, 27 नवंबर 2012

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

प्रबंध निदेशक और प्रमुख कार्यपालन अधिकारी

निदेशक

आय और व्यय विवरण

मीडिया लैब एशिया
(कपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी)

दिनांक 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राशि (रूपयों में)	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राशि (रूपयों में)
I.	सहायता अनुदान (नोट 1(घ) और 24 देखें)	13	363,095,185	165,814,904
II.	अन्य आय	14	15,784,923	8,014,405
III.	**कुल आय (I + II)**		378,880,108	173,829,309
	व्यय:			
	अनुसंधान और विकास व्यय (नोट 1(ज) देखें)	15	333,653,204	140,232,090
	कर्मचारी लाभ व्यय	16	7,942,003	5,148,227
	प्रशासनिक और अन्य व्यय	17	37,284,901	28,448,992
	मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय			
	- अनुसंधान आस्तियों पर		7,902,960	13,977,263
	- अन्य आस्तियों पर		2,511,096	1,423,546
			10,414,056	15,400,809
	घटाएं: अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित से हस्तांतरित (नोट 2 देखें)		10,414,056	15,400,809
IV.	**कुल व्यय**		378,880,108	173,829,309
V.	अपवादात्मक और विशेष मदों तथा कर से पूर्व व्यय से आय की अधिकता (III-IV)		-	-
VI.	अपवादात्मक मदें		-	-
VII.	विशेष मदों तथा कर से पूर्व व्यय से आय की अधिकता (V - VI)		-	-
VIII.	विशेष मदें		-	-
IX.	**कर से पूर्व व्यय से आय की अधिकता (VII- VIII)**		-	-
X.	कर व्यय:		-	-
XI.	**वर्ष के दौरान आय से अधिक व्यय (IX-X)**		-	-

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश 1

ऊपर दिखाए गए नोट आय तथा व्यय लेखा का एक महत्वपूर्ण अंग हैं और उन्हें तत्पश्चात जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए।

हमारे प्रतिवेदन के अनुसार सम तिथि संलग्न है।

कृते सोराब एस. इंजीनियर एंड कं. के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फ़र्म पंजीकरण संख्या 110417डब्लू

सीए. आर.एन. एंकलसारिया
सहभागी
सदस्यता सं. 034461

मुंबई, 27 नवंबर 2012

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

प्रबंध निदेशक और प्रमुख कार्यपालन अधिकारी

निदेशक

नोट

मीडिया लैब एशिया
(कपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी)

मार्च 31, 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए खातों के सारांश

खातों के महत्वपूर्ण बिंदु

1 महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियां

(क) लेखांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को मूल लागत चलन के अनुसार लेखांकन के उपचय के आधार पर तैयार किया गया है, केवल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और कुछ अन्य संगठनों को दी गई अग्रिम राशियां के लिए हुए व्ययों का लेखांकन इसका अपवाद हैं जिनकी गणना नकद आधार पर की गई है, और कंपनी कानून 1956 की धारा 211 (3 सी) में बताए अनुसार लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

(ख) स्थिर आस्तियां

स्थिर आस्तियों को क्रय/अधिग्रहण लागत घटा संचित मूल्य ह्रास पर घोषित किया जाता है। अधिग्रहण और स्थापना से संबंधित सभी व्यय जिनमें कर, चुंगी, भाड़ा और अन्य आकस्मिक व्यय शामिल हैं, उन्हें पूंजी में परिणत किया जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा उपार्जित आस्तियों को स्वतंत्र लेखाकारों की जांच अथवा संबंधित संगठन के प्रमुखों के प्रमाणपत्र के आधार पर पूंजी में परिणत किया जाता है, जो संबंधित निकायों से निश्चित समय अंतरालों पर प्राप्त होते हैं। (नोट 21 देखें)

(ग) मूल्य ह्रास

स्थिर आस्तियों का मूल्य ह्रास कंपनी कानून 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर लिखी गई मूल्य विधि पर प्रदान किया गया है जिसका अपवाद निम्नलिखित है जिसे अनुसूची XIV में निर्धारित दरों से अधिक दरों पर प्रदान किया गया है 'अनुसंधान के अन्य उपकरण' @ 40% और 'वातानुकूलक' @ 18.1%. पट्टे पर लिए गए परिसर के लिए अदा किया गया प्रीमियम पट्टे की अवधि के साथ-साथ परिशोधित किया जाता है। 5,000/- रूपए या इसे कम लागत वाली एकल आस्तियों का अधिग्रहण वर्ष में पूरी तरह से मूल्य ह्रास हो जाता है। स्थिर संपत्तियों के जोड़/घटाव पर होने वाले मूल्य ह्रास की गणना आस्तियों के उपयोग की अवधि के लिए यथानुपात की जाती है। सुविधा सुधारों का मूल्य ह्रास अपने अनुमानित उपयोगी जीवन में हुआ है।

(घ) सहायता अनुदान

सहायता अनुदान आय तथा व्यय लेखा में तब तक आय मानी जाती है जब तक उसकी राशि व्ययों की पूर्ति में उपयोग होती है। स्थिर आस्तियों की खरीद के लिए उपयोग हुए सहायता अनुदान के अंश को स्थिर आस्तियों के संचय में स्थानांतरित किया गया। वर्ष के दौरान सहायता अनुदान से खरीदी गई स्थिर आस्तियों पर लिए गए मूल्यह्रास बराबर की राशि को स्थिर आस्तियों के संचय से आय और व्यय खाते में हस्तांतरित किया गया है और उसमें से मूल्यह्रास शुल्क घटाया गया है। स्वीकृत सहायता अनुदान के अप्रयुक्त अंश को देयता माना जाता है। (नोट 24 देखें)

(ङ) सेवानिवृत्ति लाभ

भविष्य निधि
भविष्य निधि में कंपनी के अंशदान को प्रतिवर्ष आय से लिया जाता है।
अवकाश का भुगतान
वर्षांत में कर्मचारियों के पक्ष में बचे अप्रयुक्त अवकाश, वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश भुगतान की देयता प्रदान की जाती है।

उपदान
उपदान योजना की व्यवस्था करने के लिए कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक क़रार किया है।

ये योगदान आयकर नियमों में निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन किए जाते हैं और आय और व्यय खाते से लिए जाते हैं।

(च) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठनों में किया गया खर्च

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संस्थानों को दी गई अग्रिम राशियों को या तो आय और व्यय खाते में व्यय किया जाता है या संबंधित निकायों से सामयिक अंतरालों पर प्राप्त होने वाले, स्वतंत्र लेखाकारों द्वारा जांचे गए या संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा प्रमाणित व्यय प्रतिवेदनों के आधार पर स्थिर आस्तियों के रूप में पूंजी में परिणत किए जाते हैं।

(छ) विदेशी मुद्रा संबंधी सौदे

मीडिया लैब एशिया

(कपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी)

मार्च 31, 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए खातों के सारांश

खातों के महत्वपूर्ण बिंदु

कंपनी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी "अकाउंटिंग फ़ॉर दि इफेक्ट्स ऑफ़ चेंजेज़ इन फ़ॉरन एक्सचेंज रेट्स " पर मौजूद लेखांकन मानक (ए.एस.) 11 का अनुपालन करती है। सौदे की तिथि पर जारी विदेशी मुद्रा विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा के सौदों की गणना की जाती है। अनुवर्ती उतार-चढ़ावों के कारण होने वाले लाभ और हानियों पर वास्तविक भुगतान/ उगाही की गणना की जाती है। वर्तमान आस्तियां और देयताएं वर्ष समाप्ति को जारी विदेशी मुद्रा विनिमय दर के हिसाब से बदली जाती हैं और परिणामी विनिमय लाभ या हानि को आय और व्यय लेखा में स्वीकृत किया जाता है।

(ज) अनुसंधान और विकास खर्च

अनुसंधान और विकास व्यय में अनुसंधान और विकास कार्यों को करने मे कंपनी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा वहन की गई सभी लागतें शामिल होती हैं।

(झ) प्रावधान और आकस्मिक ऋण:

पिछली इवेंट के परिणामस्वरूप कंपनी को पड़ने वाले ऐसे कानूनी और रचनात्मक दायित्व होने पर, जिनके लिए नकद बहिर्प्रवाह की आवश्यकता की संभावना हो और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो, प्रावधानों को स्वीकृत किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं को तब प्रदर्शित किया जाता है जब कंपनी के ऊपर कोई दायित्व हो या उसके होने की संभावना हो और ये संभावना हो कि दायित्व की पूर्ति के लिए नकद बहिर्प्रवाह की आवश्यकता नहीं होगी।

(ञ) निवेश:

(i) दीर्घकालीन निवेशों को लागत पर उद्धृत किया जाता है। निवेशों के मूल्य में अस्थायी के अतिरिक्त अन्य प्रकार की कमी होने पर उनकी स्वीकृति के लिए, जहां संभव वहां ह्रास का प्रावधान बनाया जाता है।

(ii) वर्तमान निवेश लागत के न्यून और न्यायसंगत मूल्य पर उद्धृत किए जाते हैं।

(ट) आस्तियों की हानि:

आस्तियों में विकृति पर लेखांकन मानक 28 के अनुरूप किसी आस्ति को तब विकृत माना जाता है जब तुलनपत्र तिथि पर विकृति के संकेत हों और आस्तियों से संबंधित वहन राशि अथवा जहां लागू हो सके, नकद उत्पादन इकाई उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो (यानी आस्ति का शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग का मूल्य उच्च हो)। वहन राशि वसूली योग्य राशि जितनी कम की जाती है और इस कमी को आय और व्यय लेखा में विकृति के रूप में पहचाना जाता है।

मीडिया लैब एशिया
(कपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी)

नोट 2 - आरक्षित और शेष
(नोट 1(घ) और 4 देखें)

विवरण	मार्च 31, 2012 के अनुसार		मार्च 31, 2011 के अनुसार	
	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
स्थिर आस्तियों के लिए आरक्षित				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	82,876,827		31,594,151	
जोड़ें :				
अप्रयुक्त सहायता अनुदान से हस्तांतरित वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्तियां	10,644,479		66,751,270	
घटाएं :				
वर्ष के दौरान हटाई गई मदों का लिखित मूल्य	-		67,785	
		93,521,306		98,277,636
घटाएं :				
वर्ष के मूल्य ह्रास के लिए आय और व्यय खाते में स्थानांतरित		10,414,056		15,400,809
कुल		**83,107,250**		**82,876,827**

मीडिया लैब एशिया
(कपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी)

नोट 3 - दीर्घावधिक प्रावधान

विवरण	मार्च 31, 2012 के अनुसार राशि (रूपयों में)	मार्च 31, 2011 के अनुसार राशि (रूपयों में)
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान		
अवकाश का भुगतान (नोट 1(ङ) और 28 देखें)	1,191,754	768,547
कुल	**1,191,754**	**768,547**

मीडिया लैब एशिया
(कपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी)

नोट 4- अन्य वर्तमान ऋण

विवरण	मार्च 31, 2012 के अनुसार	मार्च 31, 2011 के अनुसार
	राशि (रूपयों में)	राशि (रूपयों में)
(क) अप्रयुक्त सहायता अनुदान (नोट 1(घ) और 24 देखें)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	440,718,839	327,077,486
घटाएं:		
भारत सरकार को वापस की गई राशि	-	1,562,338
स्थिर आस्तियों के लिए आरक्षित में स्थानांतरित (नोट 2 देखें)	10,644,479	66,751,270
जोड़ें:		
स्थिर आस्तियों के हटाए जाने पर आरक्षित से स्थानांतरित	-	67,785
वर्तमान वर्ष में प्राप्त अनुदान	321,571,550	347,702,080
घटाएं:		
आय और व्यय खाते में स्थानांतरित (नोट 13 देखें)	363,095,185	165,814,904
	388,550,725	440,718,839
(ख) जमा राशियां		
- अग्रिम धन	25,000	-
- प्रतिभूति	43,000	43,000
(ग) अन्य वर्तमान ऋण (व्ययों के लिए)	4,548,065	2,781,283
(घ) अन्य देय		
स्रोत पर काटा गया कर	794,391	619,250
वेतन और प्रतिपूर्तियां	1,111,504	464,649
भविष्य निधि और कर्मचारियों की अन्य कटौतियां	547,556	389,603
अन्य	424,685	4,781,232
कुल	**396,044,926**	**449,797,856**

मीडिया लैब एशिया
(कपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी)

नोट 5 - अल्पावधिक प्रावधान

विवरण	मार्च 31, 2012 के अनुसार	मार्च 31, 2011 के अनुसार
	राशि (रूपयों में)	राशि (रूपयों में)
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान		
अवकाश का भुगतान (नोट 1(ङ) और 28 देखें)	397,251	313,200
कुल	**397,251**	**313,200**

मीडिया लैब एशिया
(कपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी)

नोट 6 - स्थिर आस्ति
(नोट 1(ख), (ग) (घ) और 23 देखें)

राशि रूपयों में

आस्तियों का विवरण	सकल खंड - लागत पर				मूल्य ह्रास				शुद्ध खंड	
	1 अप्रैल 2011 के अनुसार	वर्ष के दौरान की गई वृद्धियां	वर्ष के दौरान की गई कटौतियां	31 मार्च 2012 के अनुसार	1 अप्रैल 2011 के अनुसार	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान हुई कटौतियों पर	31 मार्च 2012 के अनुसार	31 मार्च 2012 के अनुसार	31 मार्च 2011 के अनुसार
(i) मूर्त आस्तियां पट्टे पर लिया गए परिसर *	55,946,000	-	-	55,946,000	80,672	588,905	-	669,577	55,276,423	55,865,328
सुविधाओं में सुधार	9,253,940	-	-	9,253,940	8,652,167	376,390	-	9,028,557	225,383	601,773
जानकारी संसाधन की मशीनें और अन्य उपकरण	109,880,619	8,293,142	-	118,173,761	97,538,322	6,012,399	-	103,550,721	14,623,040	12,342,297
कार्यालयी उपकरण	16,644,489	1,210,274	-	17,854,763	9,305,748	1,342,630	-	10,648,378	7,206,385	7,338,741
फ़र्नीचर और मरम्मत	9,739,055	1,080,492	-	10,819,547	6,784,271	630,623	-	7,414,894	3,404,653	2,954,784
वाहन (मोटर वैन और कार)	3,273,756	-	-	3,273,756	2,405,224	257,771	-	2,662,995	610,761	868,532
कुल	**204,737,859**	**10,583,908**	**-**	**215,321,767**	**124,766,404**	**9,208,718**	**-**	**133,975,122**	**81,346,645**	**79,971,455**
पिछला वर्ष	139,909,565	65,325,988	497,694	204,737,859	110,871,532	14,324,781	429,909	124,766,404	79,971,455	
(ii) अमूर्त आस्तियां										
सॉफ़्टवेयर	10,529,952	60,571	-	10,590,523	7,624,579	1,205,338	-	8,829,917	1,760,606	2,905,373
कुल	**10,529,952**	**60,571**	**-**	**10,590,523**	**7,624,579**	**1,205,338**	**-**	**8,829,917**	**1,760,606**	**2,905,373**
पिछला वर्ष	9,104,670	1,425,282	-	10,529,952	6,548,551	1,076,028	-	7,624,579	2,905,373	
कुल योग	**215,267,811**	**10,644,479**	**-**	**225,912,290**	**132,390,983**	**10,414,056**	**-**	**142,805,039**	**83,107,251**	**82,876,828**
पिछला वर्ष	149,014,235	66,751,270	497,694	215,267,811	117,420,083	15,400,809	429,909	132,390,983	82,876,828	

* यथा अनुपात - ऋण-परिशोधन 10.02.2011 से लेकर 95 वर्ष की पट्टा अवधि तक।

मीडिया लैब एशिया
(कपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी)

नोट 7 - गैर-वर्तमान निवेश

विवरण	अंकित मूल्य	शेयरों की संख्या	धनराशि	धनराशि
	रूपए		31.3.12 को	31.3.11 को
व्यापारिक निवेश (लागत पर) (नोट 26 देखें) एग्रोकॉम सॉफ़्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों में निवेश	1	2,400	2,400	2,400
कुल			**2,400**	**2,400**
नोट: क) निवेशों का समग्र मूल्य अनुद्धत - लागत पर ख) निवेश के मूल्य में कोई कमी नहीं हई			2,400	2,400

मीडिया लैब एशिया

(कपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी)

नोट 8 - दीर्घावधि के ॠण और अग्रिम राशियां

,

विवरण	मार्च 31, 2012 के अनुसार	मार्च 31, 2011 के अनुसार
	राशि (रूपयों में)	राशि (रूपयों में)
प्रतिभूति जमा : असुरक्षित माना जाने वाला सामान	6,300,089	6,239,179
कुल	**6,300,089**	**6,239,179**

मीडिया लैब एशिया
(कपनी अधिनियम **1956** की धारा **25** के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी**)**

नोट **9 -** अन्य गैर-वर्तमान आस्तियां

विवरण	मार्च **31, 2012** के अनुसार राशि **(**रूपयों में**)**	मार्च **31, 2011** के अनुसार राशि **(**रूपयों में**)**
अन्य बैंकों में जमा राशि:		
सावधि जमा राशियां 12 मास से अधिक की परिपक्वता अवधि सहित।	310,803,831	353,320,254
कुल	**310,803,831**	**353,320,254**

मीडिया लैब एशिया

(कपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी)

नोट 10 - नकद और नकद सम

विवरण	मार्च 31, 2012 के अनुसार	मार्च 31, 2011 के अनुसार
	राशि (रूपयों में)	राशि (रूपयों में)
नकद और नकद समान धन		
नकदी	84,657	136,880
अनुसूचीबद्ध बैंकों के चालू खातों में जमा राशियां	(673,741)	21,120,101
अनुसूचीबद्ध बैंकों के बचत खातों में जमा राशियां	213,353	208,549
अन्य बैंकों में जमा राशि		
अल्पावधिक सावधि जमा राशि (बैंक गारंटी के विरुद्ध)	936,827	481,958
कुल	**561,096**	**21,947,488**

मीडिया लैब एशिया
(कपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी)

नोट 11 - अल्पावधि के ऋण और अग्रिम राशियां

विवरण	मार्च 31, 2012 के अनुसार राशि (रूपयों में)	मार्च 31, 2011 के अनुसार राशि (रूपयों में)
नकद या अन्य प्रकार से ली जा सकने वाली अग्रिम राशियां		
असुरक्षित माना जाने वाला सामान		
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठन (नोट 1(च) देखें)	53,125,295	9,084,440
(क)	53,125,295	9,084,440
अन्य ऋण और अग्रिम राशियां		
अग्रिम आयकर (टी.डी.एस.)	2,608,409	2,114,000
पूर्वदत्त व्यय	606,949	2,241,441
कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशियां	53,748	55,545
अन्य	427,593	720,091
(ख)	3,696,699	5,131,077
कुल (क + ख)	**56,821,994**	**14,215,517**

मीडिया लैब एशिया
(कपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी)

नोट 12 - अन्य वर्तमान आस्तियां

विवरण	मार्च 31, 2012 के अनुसार	मार्च 31, 2011 के अनुसार
	राशि (रूपयों में)	राशि (रूपयों में)
बैंक की सावधि जमा योजनाओं से अर्जित ब्याज	2,344,520	6,501,114
सरकार से प्राप्य अनुदान	20,800,000	48,653,650
कुल	**23,144,520**	**55,154,764**

मीडिया लैब एशिया

(कपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी)

नोट 13 - सहायता अनुदान

विवरण	31 मार्च 2012 राशि (रूपयों में)	31 मार्च 2011 राशि (रूपयों में)
अप्रयुक्त सहायता अनुदान से स्थानांतरित (नोट 1(घ), 4 और 24 देखें)	363,095,185	165,814,904
कुल	**363,095,185**	**165,814,904**

मीडिया लैब एशिया

(कपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी)

नोट 14 - अन्य आय

विवरण	31 मार्च 2012 राशि (रूपयों में)	31 मार्च 2011 राशि (रूपयों में)
(क) वेबसाइट होस्ट और उसका रखरखाव	404,667	2,148,780
(ख) ब्याज आय		
- सावधि जमा राशियों पर	13,649,312	2,230,687
- प्रतिभूति जमा राशियों पर	14,619	31,874
- अग्रिम राशि पर	1,662,667	105,039
(ग) वापस लिखित व्यय	53,658	3,498,025
कुल	**15,784,923**	**8,014,405**

मीडिया लैब एशिया

(कपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी)

नोट -15 अनुसंधान और विकास व्यय

विवरण	31 मार्च 2012 राशि (रूपयों में)	31 मार्च 2011 राशि (रूपयों में)
व्यय - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठन (नोट 1(च) देखें)	17,423,424	24,769,187
वेतन, भत्ते और बोनस	268,555,145	98,957,546
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	1,632,465	906,367
यात्रा और परिवहन	582,463	38,734
अनुसंधान कार्यशालाएं और सम्मेलन	27,637,629	329,146
पेशेवर शुल्क	1,319,712	761,599
संचार	1,655,306	1,125,499
रखरखाव	14,303,576	13,181,871
ट्रेडमार्क पंजीकरण	543,484	162,141
कुल	**333,653,204**	**140,232,090**

मीडिया लैब एशिया

(कपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी)

नोट 16 - कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
	राशि (रूपयों में)	राशि (रूपयों में)
वेतन, भत्ते और बोनस	6,672,409	4,230,688
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	350,192	333,860
कर्मचारी कल्याण	919,402	583,679
कुल	**7,942,003**	**5,148,227**

मीडिया लैब एशिया

(कपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी)

नोट **17 -** प्रशासनिक और अन्य व्यय

विवरण	**31 मार्च 2012**	**31 मार्च 2011**
	राशि (रूपयों में)	राशि (रूपयों में)
बिजली	1,415,007	1,485,283
किराया	-	716,687
दर और कर	585,472	585,472
मरम्मत और रखरखाव		
- इमारत	-	-
- अन्य	4,067,026	2,698,465
बीमा	109,838	123,333
कार्यालयी व्यय	3,352,585	2,673,434
यात्रा और परिवहन	14,828,830	6,819,637
विधिक और पेशेवर शुल्क	3,160,476	1,952,527
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक *	129,333	110,300
आस्तियों की बिक्री से हुई हानि	-	50,785
विज्ञापन और सम्मेलन	304,098	2,390,465
भर्ती	5,247,018	5,523,842
संचार	1,533,457	1,653,644
विविध	2,551,761	1,665,118
कुल	**37,284,901**	**28,448,992**

*लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक	**31 मार्च 2012**	**31 मार्च 2011**
	राशि (रूपयों में)	राशि (रूपयों में)
लेखा परीक्षकों को भुगतान (सेवाकर सहित)		
क) लेखा परीक्षक	112,360	110,300
ख) अन्य सेवाओं के लिए	11,030	-
ग) व्ययों की अदायगी	5,943	-
कुल	**129,333**	**110,300**

मीडिया लैब एशिया
(कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी)

मार्च 31, 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए खातों के सारांश

खातों के महत्वपूर्ण बिंदु

18 कंपनी का निगमन गारंटी द्वारा सीमित और शेयर पूंजी से रहित कंपनी के रूप में तारीख 20 सितंबर 2001 को किया गया था और इसे कंपनी कानून 1956 की धारा 25 के तहत लाइसेंस दिया गया था। कंपनी ने 5 मई 2009 को हुई अपने बोर्ड की 17वीं बैठक में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में निधिबद्ध परियोजनाओं/जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक अलग स्वतंत्र विभाग बनाया जिसका नाम " राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग (एन.ई.जी.डी.)" था। माननीय एम.सी.आई.टी. की स्वीकृति के अनुसार, विभाग ने 8 जून 2009 को अपने कार्यों का संचालन प्रारंभ कर दिया था। एन.ई.जी.डी. के 31 मार्च 2012 तक की अवधि के खातों को कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित किया गया है। कंपनी 22 दिसंबर 2009 को आयोजित अपनी 18वीं बोर्ड बैठक में आई.टी.आर.ए. कार्यक्रम के निष्पादन के लिए एक अलग विभाग बनाया जिसका नाम था "सूचना और प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (आई.टी.आर.ए)"। इस अकादमी के 31 मार्च 2012 तक की अवधि के खाते कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित किए गए हैं।

19 वर्ष की पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएं शून्य रूपए हैं; (पिछले वर्ष शून्य रूपए थी)

20 कंपनी को आयकर कानून 1961 की धारा 10(23)(सी)(iv) के तहत वित्त मंत्रालय, आय विभाग के आयकर प्रमुख अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-2006 से लेकर वापस न लिए जाने तक परोपकार के निहितार्थ संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है, 31.10.2007 को जारी आदेश सं. सी.सी.आई.टी./एम.यू.एम./10(23)(सी) (iv)/66/2007-08 97 देखें और एतदर्थ, निर्धारित शर्तों के पालन किए जाने के अधीन, कर से छूट का दावा करने की अधिकारी है।

कंपनी ने आयकर कानून 1961 की धारा 12ए के तहत भी पंजीकरण प्राप्त कर रखा है, तिथि 7 अक्टूबर 2002 की पत्र सं. डी.आई.टी.(ई)/12ए/36786/2002-2003 देखें और एतदर्थ इस कानून की धारा 11 के तहत कर से छूट का दावा करने की अधिकारी है।

21 कंपनी को वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से स्थिर आस्तियों परीक्षित विवरणों और परीक्षित व्यय विवरण प्राप्त हुए हैं। हैदराबाद स्थित आई.आई.आई.टी., मिज़ोरम के राज्य शिक्षा विभाग, तिरुवनंतपुरम स्थित प्रगत संगणन विकास केंद्र (सीडैक), पुणे स्थित सीडैक, नई दिल्ली स्थित भारतीय पुनर्वास परिषद, नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ ब्लाइंड और कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इन संगठनों के मामलों में व्यय विवरण और स्थिर आस्तियों के विवरण इन संस्थानों के अधिकृत पेशेवरों द्वारा यथावत प्रमाणित किए जा चुके हैं।

वित्तीय विवरण ऐसे व्यय विवरण और स्थिर आस्तियों के विवरण के आधार पर तैयार किए गए हैं।

डिजिटल एंपॉवरमेंट फ़ाउंडेशन के वैधानिक लेखा परीक्षक के पूंजीगत व्यय के ग़लत वर्गीकरण से संबंधित अवलोकन के बाद उसके वित्तीय वर्षों 2009-10 और 2010-11 के लिए संशोधित लेखा परीक्षित व्यय विवरण प्राप्त हुए हैं। तिथि 18 सितंबर 2012 के प्रशासनिक अनुमोदन सं. 1(12)/2008-ई.ए. के ज़रिए मीडिया लैब एशिया ने परियोजना बजट के पुन:विनियोजन हेतु इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया है। मीडिया लैब एशिया विभाग द्वारा अधिकृत तरीके से वर्ष 2012-13 के बहीखातों में पुन:विनियोजन को सम्मिलित करेगी।

22 खर्च विदेशी मुद्रा में

	वर्ष की समाप्ति मार्च 31, 2012 रूपए	वर्ष की समाप्ति मार्च 31, 2011 रूपए
ट्रेडमार्क पंजीकरण शुल्क	-	-
अन्य खर्चे (वेतन, यात्रा, संचार और अन्य लागतें)	-	-
कुल	**-**	**-**

नोट: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और कुछ संगठनों द्वारा किया गया कोई व्यय उन्हें प्रदान किए गए कोशों से विदेशी मुद्रा में तुरंत उपलब्ध नहीं कराया जा सकता और इसी अनुसार ऊपर इसे शामिल नहीं किया गया है।

23 भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना सहायता अनुदान से खरीदी गई आस्तियों को, अनुदान की स्वीकृति जिन उद्देश्यों के लिए दी गई थी, उनके अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिए नष्ट, रोका या उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि कंपनी बंद होती है तो ऐसी आस्तियां भारत सरकार को लौटानी होगी जो उन्हें बेचने या अन्य किसी प्रकार से नष्ट करने के लिए स्वतंत्र होगी।

मीडिया लैब एशिया
(कपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी)

मार्च **31, 2012** को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए खातों के सारांश

खातों के महत्वपूर्ण बिंदु

24 केंद्रीय सरकार ने मीडिया लैब एशिया के एक पूर्ण वर्चस्व वाले पुनगर्ठित कार्यक्रम को नौ सालों की अवधि तक के लिए अनुमोदन किया जो 1 मई 2003 से प्रभावी है। भारत सरकार ने वर्ष 2011-12 के लिए रूपए 8,30,00,000/- का सहायता अनुदान प्रदान किया है, जिसमें से 31 मार्च 2012 तक रूपए 6,22,00,000/- रूपयों की राशि प्राप्त हो चुकी है (पिछले वर्ष 10,00,00,000/-) और अप्रैल 2012 को रूपए 2,08,00,000/- की शेष राशि प्राप्त की गई है, जिसे सहायता अनुदान प्राप्त के रूप में स्वीकृत किया गया है। अंतिम रूप में सहायता अनुदान का जो अंश अनुमोदित/स्वीकृत उद्देश्यों के लिए आवश्यक नहीं होता उसे भारत सरकार को यथावत सौंप दिया जाएगा।

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने मीडिया लैब एशिया के "सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (आई.टी.आर.ए)" शीर्षकयुक्त परियोजना के क्रियान्वयन के लिए पांच वर्षों की अवधि में रूपए 148.83 करोड़ का कुल अनुदान स्वीकृत किया है। सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान रूपए शून्य (पिछले वर्ष रूपए 14.33 करोड़) की अनदान सहायता प्राप्त की है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने वर्ष 2011-12 के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग की स्थापना के लिए रूपए 14, 60,04,000/- का सहायता अनुदान उपलब्ध कराया है (पिछले वर्ष शून्य रूपए था)। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने एन.ई.जी.डी. में क्षमता निर्माण प्रबंधन सेल (सी.बी.एम.सी.) की परियोजना स्थापना और वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य स्तरीय ई-गवर्नेंस लक्ष्य टीम की भर्ती के लिए रूपए 7,53,95,426/- (पिछले वर्ष रुपए शून्य) का सहायता अनुदान प्रदान किया है। विभाग को राज्य सेवा संप्रेषण द्वार (एस.एस.डी.जी.) के लिए रूपए 40,00,000/-, एन.ई.जी.पी. के प्रमुख गीत को बनाने के लिए रूपए 16,00,000 /- और इलेक्ट्रॉनिक सेवा डिजाइन तथा (ई.एस.डी.एम.) निर्माण के लिए रूपए 5,64,500/- का सहायता अनुदान प्रदान किया है। अनुदान सहायता जमा राशियों पर प्राप्त रूपए 1,09,48,430 / - की ब्याज राशि को वर्ष 2011-12 के लिए अनुदान सहायता समर्थन के रूप में लिया गया है।

25 कर्मचारी लागत में वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान प्रबंध निदेशक को भुगतान किया गया वेतन शून्य रूपए भी शामिल है (पिछले वर्ष रूपए शून्य)।

26 कंपनी ने मुंबई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित अक्वा सॉफ़्टवेयर प्रमाणपत्र का उपयोग करने के लिए तिथि 17 सितंबर 2008 को एग्रोकॉम सॉफ़्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। उक्त समझौता ज्ञापन के अनुसार, कंपनी अप्रैल 2008 से शुरू करके मार्च 2011 तक की तीन वर्षों की अवधि तक प्रौद्योगिकी के उपयोग से अर्जित के 0.6 % की दर से रॉयल्टी पाने की अधिकारी है।
उक्त समझौता ज्ञापन के अनुसार, कंपनी ने एग्रोकॉम सॉफ़्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के (1 रूपया प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर) 2400 शेयर प्राप्त किए हैं।

27 कंपनी ने " भारतीय किसानों की सूचना संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत में कृषि के क्षेत्र की प्रमुख सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पहलों के अध्ययन और विश्लेषण पर आधारित वैकल्पिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नमूनों के समूह का विकास” शीर्षकयुक्त परियोजना का बीड़ा उठाया है जिसका संचालन राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना (एन.ए.आई.पी.) के घटक 4 के अधीन संकाय मोड के तहत किया जाएगा। संकाय में चार सहभागी हैं, मीडिया लैब एशिया (संकाय प्रमुख); राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन.आई.आर.डी.), हैदराबाद, आचार्य एन. जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय (ए.एन.जी.आर.ए.यू.), हैदराबाद और मुद्रा संचार संस्थान (एम.आई.सी.ए.), अहमदाबाद (संकाय सहभागी)। परियोजना को जून 2013 तक विस्तार दिया गया है।

परियोजना के कुल रूपए 273.83 लाख के बजट में से, मीडिया लैब एशिया का अंश रूपए 121.07 लाख है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान रूपए 12.96 लाख प्राप्त हुए हैं (पिछले वर्ष ये राशि रूपए 42.71 लाख थी)। वर्ष के दौरान रूपए 17.24 लाख की राशि परियोजना में खर्च की जा चुकी है और शेष रूपए 37.29 लाख को एन.ए.आई.पी. को वापस लौटा दिया गया है। शून्य रूपए की राशि को वर्तमान देयताओं के तहत दिखाया गया है (पिछले वर्ष यह राशि 41.57 लाख थी)।

28 कर्मचारी लाभ

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी कर्मचारी लाभों पर लेखा मानक (संशोधित 2005) को अपनाने के फलस्वरूप, मानक के लिए आवश्यक निम्नलिखित उद्घोषणएं की जाती हैं:

मीडिया लैब एशिया
(कपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी)

मार्च **31, 2012** को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए खातों के सारांश

खातों के महत्वपूर्ण बिंदु

परिभाषित लाभ योजनाएं

क. उपदान न्यास में अंशदान

कंपनी के कर्मचारियों के लिए कंपनी के उपदान निधि का विवरण नीचे दिया गया है जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा तिथि 31 मार्च 2012 को प्रमाणित किया जा चुका है और लेखा परीक्षक इस पर निर्भर रहे थे

i	मूल्यांकन विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि
ii	जीवनांकिक अनुमान	
	मृत्यु दर	एल.आई.सी. (1994-96) अल्टीमेट
	वापसी दर	उम्र के हिसाब से 1% से लेकर 3%
	छूट दर	8%
	वेतन वृद्धि	5.50%
iii	मूल्यांकन के परिणाम	
	क. सेवा के पिछले लाभ का PV	1,580,181
	ख. सेवा की वर्तमान लागत	263,646
	ग.सेवा का कुल उपदान	13,252,566
	घ. उपार्जित अनुदान	2,456,940

ख. अवकाश भुनाना

कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान में आय और व्यय विवरण के नामे लिखा गया संचित अवकाश की भुनाई के संबंध में वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार बनाया गया रूपए 5,22,786 (पिछले वर्ष जो रूपए 3,35,693 था) का प्रावधान शामिल है। वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार कुल देयता और जो कंपनी के खातों में प्रतिबिंबित रूपए 15,89,005 है (पिछले वर्ष जो रूपए 10, 81,747 थी)। कंपनी ने देयता के लिए पैसा खर्च नहीं किया।

परिभाषित अंशदान योजनाएं

कंपनी ने भविष्य निधि / पेंशन निधि के लिए रूपए 19,82,657 (पिछले वर्ष जो रूपए 12,40,227 थे) की स्वीकृति दी है।

29 वित्तीय विवरणों में उद्धरणों के अतिरिक्त, कंपनी कानून 1956 की अनुसूची VI के द्वितीय भाग के अनुच्छेद 3, 4, 4-ए, 4-सी और 4-डी में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित जानकारी 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में कंपनी के लिए या तो शून्य है अथवा उस पर लागू नहीं होती।

30 सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाए

कंपनी को आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास कानून 2006 के तहत आवश्यक उनकी स्थिति के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है और इसलिए निम्नलिखित से संबंधित उद्घोषणाएं:

क) वित्तीय वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ताओं को देय शेष राशि और बकाया ख) वर्ष के दौरान भुगतान किया गया ब्याज ग) वित्तीय वर्ष के अंत में देय ब्याज और घ) वित्तीय वर्ष के अंत में संचित और भुगतान न हुआ ब्याज प्रदान नहीं किए गए हैं।
कंपनी कानून के तहत आवश्यक आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति के संबंधि में उनसे पुष्टि पाने के लिए प्रयास कर रही है।

31 कंपनी कानून 1956 के अधीन अधिसूचित लेखा मानकों के संबंध में, सामान्य निदेशों में जैसा कि परिभाषित किया गया है, यह कंपनी एक लघु और मध्यम आकार की कंपनी है। जिसके अनुसार, कंपनी ने लघु और मध्यम आकार की कंपनी के लिए लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया है।

32 ऋणयुक्त या ऋणरहित पक्षों के खाते, पुष्टि, सामंजस्यता और इसके परिणामी समायोजन के विषयाधीन होते हैं।

33 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण उस समय के कंपनी कानून 1956 की तब लागू रही पूर्व-संशोधित अनुसूची VI के अनुसार तैयार किए गए थे। कंपनी कानून 1956 के अधीन संशोधित अनुसूची VI की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण संशोधित अनुसूची VI के अनुसार तैयार किए गए हैं। इसी प्रकार, इस वर्ष के वर्गीकरण के साथ सदृश्यता के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को भी वर्गीकृत किया गया है। पिछले वर्ष के आंकड़ों के लिए संशोधित अनुसूची VI को अपनाने से वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए अनुपालन किए जाने वाली स्वीकृति और मापक सिद्धांतों पर

मीडिया लैब एशिया
(कपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी)

मार्च **31, 2012** को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए खातों के सारांश

खातों के महत्वपूर्ण बिंदु

34 कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक के आयोजन के लिए 31 दिसंबर 2012 तक के लिए समय को बढ़ाने के लिए कंपनी कानून 1956 की धारा 166 (1) के अधीन अनुमति प्राप्त की है।

नोट 1 से 34 के संबंध में हस्ताक्षर

सोराब एस. इंजीनियर एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फ़र्म पंजीकरण संख्या 110417डब्लू

सी.ए. आर. एन. एंकलसारिया
सहभागी
सदस्यता सं. 34461

स्थान: मुंबई
तिथि: मुंबई, 27 नवंबर 2012

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

प्रबंध निदेशक और प्रमुख कार्यपालन अधिकारी

निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: मुंबई, 27 नवंबर 2012